Deputy Chairman, this is a very, very, urgent matter of public importance that I am bringing to the attention of the Government. Yesterday we received an urgent telegram from Shri Roy, M.L.A., Joint Secretary of the Refractory Ceramics Union, Raniganj, regarding the closure notice in Raniganj No. 2 and Durgapur Works Ltd. with effect from 30th November, 1985. Burn Standard. & Company Ltd. a Government of India unit, was a profit-earning concern. During the last decade, particularly since nationalisation, the administration has been running in a way counter to the objects of nationalisation. Inefficiency and corruption in a degree, financial impropriety, top heavy administration, lack of foiesigbt in the matter of advance planning, and, above all, overlooking the imperative need modernisation and diversification in spite of the reports of consultants for producing sophisticated products to meet the changed demands of the steel industry on account of the technological changes therein, contributed to the landing of the iefractory units in the present position, and the management, in an attempt to cover up its inefficiency, inaction, lack of foresight, has now sought to close down these refractory units ignoring the fact that there is no justification for- leaving the refractoiy unit and Raniganj unit No. 2 in isolation. Therefore, the entire question has

be considered in an overall perspective of all the units taken together as one company making profit as a >vhole. It is, therefore, apparent that the local management has arbitrarily recommended for the closure of only the Durgapur unit and 'Ranigani No. 2 as an eas/ solution although the Government on several occasions in the recent past disagreed with the proposal for closing down units. The management for the third time is pursuing its move for closure only these two units with effect from 30th November, 1985 so that their own failures are covered

up at the cost of the livelihood of more than 1200 workmen apart from the serious repercusions in the industrial climate in. the eastern region. The closure would defeat the very purpose of nationalisation and the concept of a public sector undertaking. In view of the above I would request the honourable Minister to withdraw the closure notice served on the Durgapur Refractory and Ceramic Unit and Raniganj No. 2 unit, and order a high level and powerful inquiry to investigate into the whole affair of the Burn Standard & Company Limited as soon as possible.

THE EMPLOYMENT OF CHILDREN (AMENDMENT) BILL, 1985—contd.

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE (West Bengal) : Madam, we are the largest democracy of the world and we have the highest record of the evil of child labour. We have a Constitutional Protection in Article 24 which says: "No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment." find, according to the UN reports, India has the largest child labour in the World. the 52 million child labourers of the age group of 5-14 years in the world, 17 million are in India. This is according to the UN report. That is, one-third of the world's child labour belongs to India. One out of every four children of India is a child labourer. Recently an official of the World Health Organisation has revealed that the working children are used like animals, that their conditions are similar to the 18th century Europe.

Now, the World Bank estimate says that 23 per cent of the family earnings come from child labour. What to speak of the hazardous occupations? I am afraid that this amending Bill which is promising to give them relief may actually be legalising the

[Shrimati Kanak Mukherjee]

lovments of children in hazardous occupations. So, this may produce some worse results instead of giving any relief to the children employed in hazardous occupations.

There have been many questions put and answers given in Parliament during the last few years. But thousands of children are still working in extremely hazardous conditions in the match factories in Sivakasi and in the carpet-manufacturing units in Kashmir. They are all child labourers and whether they are bonded or contract labourers or slave labourers or local residents or local workers, they are all helpless absolutely. They are absolutely helpless in their inhuman exploitation by the ruthless employers, middlemen and the contractors.

Madam, some time back a report came that the children from Bihar had been kidnapped and made to work in the carpetweaving industr ries in Mirzapur in Uttar Pradesh and this report came in almost all the important newspapers all over India. It is easy to exploit the children because they are children. They cannot save themselves and they cannot survive without selling their last drop of blood and their families cannot maintain them. Their parents are unable to maintain them and the State also does not take the responsibility. That is why children are so helpless and they are out to sell their last drop of blood that they have. Now, Madam, these unfortunate children, these Oliver Twists of Charles Dickens, are all over India. Now, the position that was in Europe in the eighteenth and nineteenth centuries is there in India today. These children are working in tea shops, in hotels, in restaurants, in motor repair shops, in mines, in plantations, in diamond polishing units, in hosiery industry, in zari industry, in bangle industry, in bidi industry, and they are everywhere; They are there even in ragpicking. Now,

Madam, we have protection for children in our Constitution. But, in reality, we see thousands of Oliver Twists all over India. Above all, the most dismal thing in this sort of exploitation of children is the bane of child prostitution and employment of children for begging by professionals who trade in beggary and the presence of children in care homes and jails. Madam, in the Nairobi Conference at the end of the Women's Decade, just concluded in 1985, about fourteen hundred women participants, non-government participants were there. Dr. I.S. Gilada from Bombay highlighted the problem of child prostitutes and revealed that about 20 per cent of the total prostitutes all over India are minors. There are 20,000 child prostitutes in Bombay alone. There are child prostitutes throughout the country. This may be a part of the world phenomenon. But India tops the list in this respect. This is the state of affairs after almost four decades of our Independence and this is the state of affairs that we find today after having passed more than a dozen legislations regarding child labour. Therefore, we have to go to the root of the problem to find out what the cause of this evil is. The ver\ socio-economic structure is firstly responsible for this thing. The economic policy of the Central Government, the class rule by the bourgeoisie —landlord class, the rule by the propertied classes, push down most of the unemployed parents below the poverty line who cannot maintain their children which results in child labour. The greed and die profit motive of the exploiting classes and the worship of the money God are also responsible for this.

That gives this result. This is the consequence of that greed and profit motive and the rule of money God. Now, when a complete ban on child labour is not possible at present — that is our experience—we must immediately try to improve their working condition and give them job

Security. Children do not have any job security. So long as they are useful, they are employed, As soon as they fall sick and they become useless, they are just thrown out of employment. So give them nourishing food, give them free health service and treatment, give them compulsory free education. Look at the educational policy of the Union Government. It does not say anything about mass education, about free, compulsory primary education. It tries to follow England (Time Bell eighteenth century rings), that is, rule by some experts, ignoring the vast masses of the people. Give them compulsory free education, give them recreational facilities, cultural activities, libraries and everyting. Now, these are only short-term measures. The long-term programme is to change the society itself. The doctor says that a child's brain grows up to the age of i\(\infty\), lungs up to the age of 14 and muscles and bones up to the age of 18. And the working children are deprived of the facilities to develop any of these faculties. Now, what sort of nation are we building with about 25 per cent of the total child population with this condition? It is needless to mention about other children who are not working children but who are deprived of the facilities to develop themselves.

Madam, my last point is this. Now, we speak socialism. Our Constitution of socialism. But look at all the speaks socialist countries. In Russia, in China, in Romania, in Cuba, in North Korea. everywhere you see the children are the most privileged sections of people: they are the most precious treasures of the nations. They get all facilities. The State takes full responsibility for their health, education, progress, job security and mental everything. And we find the contrast picture in India. So the laws will remain useless. I am afraid the laws will put more burden on them. The law may legalise actually the employment in hazardous institutions instead of giving them some additional relief, instead of giving them job security. We have passed more than a dozen laws since Independence regarding child labour. But they are as they were before. Their condition is getting worse and worse.

So I appeal to the Government to take immediate measures to give them some relief, and include all these things in this Bill. Please bring a comprehensive Bill actually to give these reliefs, additional facilities—job security, health service, educational facilities; include all these things and bring a comprehensive Bill in this House.

Thank you, Madam, for giving me this opportunity.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Monika Das.

SHRIMATI MONIKA DAS (Karnataka) Madam Deputy Chairman, I rise to support the Employment of Children (Amendment) Bill, 1985, which has already been passed by the Lok Sabha and now it has come to our House for discussion and passing.

Madam, the 1981 census estimated India's population at 685 millions, of which 44 per cent of children are in the labour force, and most of them are of tender age. Every third household has a working child in the tender age-group of five to fifteen years. Madam they are living for work and not working for a living, that is to say they are working all the time and that too without any wages or without any adequate wages. This is the position with 38.4 per cent out of 685 million of our population. Madam, at least ten thousand children are made blind by vicious people who make them sit on the roadside for begging in big cities like Calcutta, Bombay, Delhi and Mad-

[Shrimati Monika Das]

ras. At least four thousand children are taken to the courts in Bombay every day and five thousand children are sold in other cities every day. In this way more than 25 million children are exploited by middlemen and unscrupulous people.

Madam, in this connection I would like to say that the Children's Employment Act. 1938, says that children under 14 years of age cannot be employed in areas like industrial and railway workshops, mines and other dangerous areas and that those who employ them shall be punished with a sentence of not less than six months and a fine of not more than Rs. 500/-. That is the punishment for these people who indulge in this inhuman activity \ of employing minor children in dangerous establishments. In this connection, Madam, it has also been estimated that about 93 per cent of the working children are employed in rural areas and 80 per cent of the working children work as unpaid family workers. In the urban areas, these young children are made to work in the unrecognised sectors like domestic servants, workers in hotels, construction workers, newspaper sellers, in stone quarries and so on and in bhatties and other areas they are made to work for more than 8 hours and most of the time they are paid either no wages > • inadequate wages. The main cause for all these things is the economic disability and that is why they are being exploited like this. One of the major factors is their illiteracy. That is why they do not have any other means. We have seen, Madam, that the child labour has been in vogue for many centuries. It was there during the Mohammedan rule and during the British times also. It has been going on generation after generation but this cruelty on children is much more inhuman no less than it was in the past.

Madam, as Shrimati Kanak Mukherjee stated, the plight of the child labour is much worse these days. Their conditions of living are even worse than those of animals. We are treating our dogs and other pet animals far better than we are treating our child labour. As you know, at least 25 thousand of such children are sleeping on footpaths in big cities like Calcutta, Bombay, Delhi and Madras.

Madam, it is true that labour force is necessary. If labour force is not there, we cannot make buildings, we cannot make roads and bridges. We must have labour force but we must see that children below a certain age are not engaged in dangerous trades and child labour should be banned according to law. We can allow children above a certain age to work. Otherwise there will be more starvation and more unemployment.

But the child labour which we are discussing today is the most inhuman aspect of it that our society is witnessing. I feel that at the official level, sufficient attention has not been paid to this problem. A child Labour Cell was put up in the Union Labour Ministry; prepared action-oriented thev programmes for the children to be implemented by reputed voluntary organisations. A sum of Rs. 5 crores has been proposed in the Seventh Plan period. This is the recommendation of the working group on the welfare and development children. But of unfortunately, despite all legal sanctions, these contractors and other unscrupulous persons are exploiting the children. My only fear is that the benefit of this allocation of Rs. 5 crores will not reach the children; it will not meet the purpose for which it has been allocated. My submission to the hon. Labour Minister is, you have got the funds; you should see to it that its benefits reach those unfortunate children. Hon. Prime Minister also said: "A time-bound programme of

185

action will enable India to enter the 21st century, free from hunger, poverty" and that our country will take its rightful place as the most important country in the world. The Prime Minister has said it; plans are there; sanction of the funds is there; but for implementation, it is not the duty of the Prime Minister alone; every person has got the duty to see that all these plans are properly implemented. The seventh Five Year Plan 1985-1990 inter-alia mentions that labour deserves immediate So, all attention the voluntary organisations and agencies with the task of providing relief to the child Labour, have to see that proper education, food and nutrition is provided and all efforts should be made to bring non-formal education to the child labour in large numbers; we have to change our attitude; a social awareness will have to be created, besides tightening the laws and the enforcement machinery. Laws there; but they should be rigidly enforced. We are making this law; the Bill will be passed but the situation can improve only if it is properly enforced. There are several laws; nearly 13 laws exist; ILO recommendations are there; United Nations Charter on Human Rights is there. Children also have got human rights; they are the future of our country. About 45 million children are there who have to be provided all facilities. education, food, nutrition etc. because after 20 years, what will be the picture of our country if we do not look after them now. submission is, we have to fulfil the objectives of the laws that we pass here and in case there is a need, we can change the laws so that these children get proper treatment in the society and get all protection and get an opportunity to rise not only physically, mentally but even spiritually. If they live in unhealthy environments, how can we expect healthy children in the society.

Hon. Minister has brought forward a very important Bill. But as

I said, this is not enough. Madam, yesterday, we had a discussion about the bonded labourers. I would like to point out that women and children are more bonded than men.

Out of the 685 million population, forty-four million children—this is the official estimate; the unofficial figure may be many more millions— are living on the roadside. Even as per official estimates, 44 million children are living under the trees, on the footpaths and roadside. It has been estimated that about 10,000 children are begging on the roadside. It has also been estimated that more than 5,000 children have been sent to other countries, not physically healthy children, but physically and mentally ill children. What my friend, Mr. Sukul, has said is correct.

SHRI P.N. SUKUL (Uttar Pradesh) : For bad purposes.

SHRIMATI MONIKA DAS: For bad purposes, not for good purposes. They are sending physically and mentally ill children who are going and begging on the roadside in other countries, thus bringing a bad name to our country. I have received reports from other countries that these children are begging in these countries. This is especially so in U.K. where most of the children have been sent.

Madam, the working children are living in inhuman conditions. Now, we will be passing this Bill today. But the mere passing of this Bill is not enough. Implementation is more important. Proper instructions should be given to the State Governments in this regard. We should see that our children live in healthy and human conditions. They are the future generation of our country. The children in the age group of 5-15 years will be running the affairs of the country after 25-30 years. In the last Session, I raised the matter about the children working in the carpet-weaving factories in Mirzapur in

[Shrimati Monika Das]

U.P. Four hundred children have been brought from other States like Bihar, Orissa and so on and they are working as bonded labourers. They are not able to come out of these factories. When they tried to come out, they were branded with hot iron rods by the factory owners. Tats is the inhuman treatment being meted out to the children. We are entering the Twentyfirst Century. But our children are still living in this condition.

Sir, in this connection, I would suggest that we should collect detailed data from the States. ...

SHRI P.N. SUKUL: Madam...

THE DEPUTY CHAIRMAN: She is addressing the Minister.

SHRIMATI MONIKA DAS: As I said, the number is 44 million, even as per official estimates. That is why, I would suggest, we should collect full data from the States and give proper instructions to them. If any State is not coming forward, action should be taken. I do not mind children being engaged in various occupations. But they should at least be given a little bit of education, health care and better living conditions should be provided to them. The Centre should collect the data, find out who are the real culprits, who are violating the laws, who are selling children and take action against these middlemen and unscrupulous people. This punishment of Rs. 500 fine and six months simple imprisonment is not enough. They will be prepared to pay this small fine of Rs. 500. There should be a minimum punishment of five years imprisonment and a fine of Rs. 10,000. Then only these people will come to their senses. The moment you get information that a person is violating the law, you should take action immediately and punishment should be awarded. There should be no delay. If there is delay, nothing will happen and

these people will go to the lower courts High Court and so on. This is what has been going on now.

1.00 P.M.

Madam, the private sector undertakings or the public sector undertakings are always neglecting labour class. They do not look to their living conditions. We have seen so many undertakings where a large number of quarters are constructed for officer class but the poor labourers are neglected. The result is that they live in slums and thus slums are created. So, whenever a new unit, whether in a private sector or in a public sector, is sanctioned, you should give strict instructions that the living conditions of the poor labourers should first be looked into. They should give living accommodation to the men or women employed by them as who are labourers.

About the punishment I have already said. It should be deterrent. Mere six months, imprisonment or Rs. 500 fine will not do. It should be more than that.

Our respected Prime Miuister rightly said in New York that he wants to take us into the 21st century with healthy children and healthy society.

With these words, Madam, I conclude.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2-00 o'clock.

> The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

189

The House reassembled after lunch at three minutes past of the clock

The Deputy Chairman in the Chair,

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Vaghela.

श्रो शंकर सिंह बाघेला (गुजरात): मैडम डिप्टी चैयरमैन, ग्राज सदन में बाल श्रमिकों के बिल पर चर्चा हो रही है। यह विल लाकर, कानून बनाकर, सरकार का क्या मतलब है, यह मेरी समझ में नहीं ग्राता है। हमारे कांस्टिट्यूशन के डायरेक्टिव त्रिंसिपल्स में यह कहा गया है कि 5 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एज्केशन दी जाएगी। ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हं कि जो बच्चा पढ़ता है वह बाल-श्रमिक नहीं वन पाता है। वह बच्चा बाल-श्रमिक वनता है जिसके लिए माता-पिता के घर में भी जगह नहीं होतो है, स्कूल जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं होती है और जिसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होता है। न तो उनके लिए कोई सिस्टम होता है श्रीर न हो कोई उनके लिए चिन्ता करता है।

उनको यही शिक्षा मिलती कि उन्हें फैक्टी में काम करना है, ढाबे पर काम करना है या आटोमोबाइल की दुकान पर काम करना है या साईकिल-स्कटर की दुकान पर काम करना है। गांबों में रहने वाले बच्चों की बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में पानी ढोने या उनके मवेशी चराने के काम में लगाया जाता है। हमारे देश में बाल श्रमिकों का इसी रूप में उपयोग होता है। 14 नवम्बर को हमने बाल-दिवस मनाया। कौन से बच्चे वहां पर इकटठा किये गये थे ? ग्रच्छे घरानों के लाल-गुलाबी, वैल इस्ड बच्चे टी० वी० पर दिखाये गये। मैं यह पूछना चाहता हं कि हमारे किसी मंत्री ने या राज्यों के चीफ मिनि-स्टर्स ने या मिनिस्टर्स ने क्या कभी नंगे-भखे बच्चों को इकट्ठा करने की बात सोची है ? मैं यह पूछना चाहता हं कि क्या ऐसे बच्चों को टी० बी० पर लाने की या प्रैस के सामने लाने की बात किसी ने सोची है ? हम बाल दिवस जरूर मनाते हैं। ग्राप बाल दिवस पर क्या ऐसी कोई

प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि हिन्दस्तान में कोई भी बाल-श्रमिक नहीं होगा ? हिन्द-स्तान में बाल-श्रमिक होने ही नहीं चाहिये ग्राप इन तरह की व्यवस्था कोजिए। यह हालत जो इस समय समाज में है वह किस ने बनाई है, किस ने यह हालत पैदा की है? 38 साल तक जिस सरकार ने शुरू से राज्यों पर शासन किया है बाल-श्रमिक के लिए यही सरकार जिम्मेदार है। ग्रपने देश में तकरीवन 25 करोड बच्चे हैं। इन में से चार करोड़ बच्चे वाल मजदूर हैं।यहविश्व के किसी एक देश का जनसंख्या से भी ग्रधिक संख्या बच्चेही देश का भविष्य होते हैं। जिस देश का वच्चा भूखा होगा, नंगा होगा, जहां खाने के लिए कत्ते ग्रीर बच्चे एक साथ झपट मारते होंगे उस देश का भविष्य क्या होगा ? वह बाल मानस जो होता है, बच्चा जो होता है, अशिक्षित होता है, वह भरोज होता है, ब भार होता है, रोग होता है, इसलिए कल 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जो समाज बनने वाला है वह कैसा समाज होगा, यह ग्राप स्वयं सोच सकते हैं। वाल-श्रमिकों की हालत दयनीय है क्योंकि बड़ा होने के बाद उस बच्चे में एक अच्छे नागरिक के गण विकसित नहीं होंगे, वह कभी ग्रच्छा नागरिक नहीं व सकता है। जो लोग गुनाह करते हैं, बच्चे जो बाल अपराध करते हैं उनको सरकार पकड़ करके जेल में भेजती है। वहां पर भो उनके ऊपर क्या गुजरती है। इसकी रिपोर्ट ग्राप मंगाइये कि देश को सभी जेलों में कितने बच्चे जेलों में बन्द हैं । मेरा सुझाव तो यह है कि ग्राप कभी बच्चों को जेल में मत रिखये। इनके लिए अलग एक व्यवस्था की जाये । इनके लिए अच्छे सुधार घर बनाये जाएं। इनमें बच्चों को देश का ग्राच्छानागरिक बनाने के गुण विकसित किये जाएं, उनको शिक्षा की सुविधा दी जाए। सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, उस हिन्दुस्तान का गुलिस्तां कैसा है ? जिस गुलिस्तां की कलियां कभी फुल भी नहीं बन पाती ऐसे बच्चों के लिए हम सब हमारा समाज हमारी राज्य सरकारें ग्रीर हमारी

श्री शंकर सिंह वाघेला]

Employment of

केन्द्रीय सरकार भी जिम्मेदार है । उनकी यह हालत बनाने में हम सब शामिल हैं। ग्राज ग्राजादी के 38 साल के बाद भी यह हालत हमारे देश में बच्चों की है, यह शर्म की बात है। यह एक सोश्यो-इकोनोमिक प्रोब्लम है। क्या ग्रापने कभी बैठ कर सोक्यो-इकोनोमिक साइड से बच्चों के सुधार के लिए, शिक्षा देने के लिए, पैसे की सुविधा देने के लिए, खाने की सुविधा देने के लिए, कोई बच्चा भुखा न रहे, सब बच्चों को कम्पलसरी एज्केशन देने के लिए राज्य सरकारों को कभी खींचा है कि स्रापके राज्य में सभी बच्चे कम्पलसरी शिक्षा पाते हैं, नि:शल्क शिक्षा पात हैं ? ऐसे लोग जो इन बच्चों को नौकरी पर रखते हैं, मेरे पास एक कटिंग था तमिलनाड की जो गवर्नमेंट है वहां की एक माचिस बनाने की फैक्टरी में जो सरकारी निगम की है उसमें भी बाल श्रमिक काम करते हैं। एक सरकारी कारपोरेशन जिसमें बाल-श्रमिक ग्राज भी काम करते हैं, हम तो प्राइवेट लोगों की बात करते हैं क्या ग्रापने सरकार के लिए भी कभी सोचा है कि उनकी निगमों के तहत बाल श्रमिक क्यों काम करते हैं ? जो लोग बच्चों को नौकरी पर रखने का गुनाह करते हैं ग्रापने ऐसे कितने लोगों को भ्राज तक पकड़ा ग्रीर कितने लोगों को ग्रापने सजा दी है ? ग्रापने तो सुविधा मांगी है कि ज्यादा सजा दी जाए, ज्यादा जुर्माना किया जाए लेकिन मैं यह पूछना चाहता हं कि ग्राज तक श्रापने ऐसे श्रपराध करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है, कितने लोगों को सज़ा दी है। क्या हम सब को या दूसरों को पता नहीं है कि सब जगह बाल मजदूर काम करते हैं क्या कभी ग्रापने रोकने की कोशिश की है ? ग्रापने कभी चाय मंगवाई होगी बच्चा होटा से ग्रापके लिए चाय लाता है, जिसकी उम्र मश्किल से 9-10 साल की होती है क्या कभी आपने उस बच्चे के हाथ की चाय पीने से मना किया है, यह कहा है कि मैं बच्चे के हाथ की चाय नहीं पीऊंगा क्योंकि यह बाल-धर्मिक है ? मैं यष्ट जानना चाहता हं कि ग्रापने जो ज्यादा सजा देने की सुविधा मांगी है, ग्रापने ग्रब तक कितने लोगों को सजा दी है? कितने लोग जेल गये यह भी भ्राप हम सबको जानकारी देंगे तो ग्रापके बडे ग्राभारी होंगे। इन बच्चों को ग्रगर कोर्ट में जाना है तो यह भी सुविधा नहीं है। कोटे में जाने के लिए लेबर इंस्पेक्टर्स पर मामला ब्राधारित रहता है। ब्रगर लेबर इंस्पेक्टर को ठीक लगता है तब बच्चों का केस लेकर वह पृट ग्रप करता है ग्रन्थथा इसकी मेहरबानी पर बच्चे रहते हैं। इसलिए बच्चों को सीबे कोर्ट में जाने के लिए ग्रनमति होनी चाहिए ग्रौर उम्र सर्टिफिकेट भी बोगस होते हैं। यह 14 साल से बड़ा है या इतने साल से बड़ा है इसको एक्सरे मशीन से निकालें तो भी मालुम नहीं होगा । इसलिए डाक्टर बोगस सर्टिफिकेट देते हैं उम्र के लिए कि कितनी उम्र का वह बच्चा है ताकि इम्प्लाय करने में तकलीफ न हो । तो इसकी भी जानकारी प्राप्त करें भ्रौर ऐसे डाक्टर जो बोगस सर्टिफिकेट देते हैं उनकी भी खिचाई होनी चाहिए। इन सबको बंद करने के लिए एक इंस्टी-ट्यट होना चाहिए जिसमें केन्द्र सरकार ग्रौर राज्य सरकारों से भी इनका हिस्सा लिया जाये ग्रौर सौ करोड रुपये इकट्टे करके यह इंस्टीटयट काम करे । इन बच्चों को चाहे दूसरी शिक्षा न मिले लेकिन टेक्निकल शिक्षा जिसमें शारीरिक श्रम कम हो बल्कि मानसिक श्रम या जो वच्चा जितना सहन कर सकता है उतना श्रम वह करे इंस्टीटयट में ऐसी सुविधा हो ग्रीर सिर्फ बाल-श्रमिकों के लिए सौ करोड़ रुपया ग्रलग से उनकी सुविधा के लिए रखें।

192

यह बिल बार-बार ग्राप लाते हैं इससे ग्रच्छा है कि एक कम्प्रीहेंसिव बिल लायें ग्रौर उसमें जितनी भी सुविधाएं श्राप चाहते हैं जितनी सजा श्रादि चाहते हैं वह सब इसमें मिलाकर दोनों सदनों के सामने ग्राप पेश करें। हम जरूर उसका समर्थन करेंगे। माननीय उपसभापित महो-दया, श्रापने जो समय दिया उसके लिए मैं श्रापका बड़ा श्राभारी हूं श्रौर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि बिल के कानून के चक्कर में मत पड़िये कानून बन जायेगा सब सपोर्ट करेंगे लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। श्राज ला या कानून का क्या है। इसमें कार्यवाही जो होनी चाहिए उसके लिए जो गवर्नमेंट की श्रथारिटीज हैं उनको श्राप ध्यान से देखिये श्रौर जो जिम्मेवारी के लिए यहां रखते हैं, बच्चों की देखभाल करने के लिए, बाल श्रमिकों के लिए कि वे न बढ़े तो इसके लिए तंत्र की खिंचाई की कार्यवाही कड़ी करें ऐसी मेरी श्रापसे प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री घनश्याम सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं बाल नियोजन संशोधन विधेयक पर ग्रपनी राय देने के लिए खड़ा हुन्ना हूं। बालक नियोजन विधेयक 1938 में केवल जर्माने एवं सजा के प्रावधानों में वद्धि कर प्रभावी बनाने की दिशा में माननीय श्रम मंत्री जी ने जो श्रमिकों की समस्याओं के बहुत बड़े जाता हैं, एक सराहनीय कार्य किया है जिसके लिए वे बधाई के पात है। परन्तु ग्रसली वधाई-बाल श्रमिक उन्हें उस दिन देंगे जिस दिन इस विधेयक के प्रावधानों के ग्रनुरूप कार्य कर वे बाल श्रमिकों की समस्याधों का निदान करेंगे। इस संशोधन द्वारा जमिन एवं सजा के प्रावधानों में जर्माना 500 से बढ़ाकर 2000 ग्रीर सजा 3 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष तक किये जाने का प्रावधान किया गया है। परन्त त्यायालय को विशेष परिस्थितियों में सजा कम करने का ग्रधि-कार दिया गया है जिसके कारण जो यह संशोधन किया गया है वह अप्रभावी जैसा लगता है क्योंकि ये बाल श्रमिक गरीब परिवारों के होते हैं तथा गरीब व्यक्ति को न्याय पाने में कितनी कठि-नाइयों का सामना करना पडता है यह माननीय मंत्री जी ग्राप भली प्रकार से जानते हैं। इसलिए मेरा अनरोध है कि इसका प्रभावी ढंग से ग्रमल तो कराएं ही साथ ही इन प्रावधानों में ग्रापने जो जर्माना 2 हजार किया है सजा का 2 वर्ष किया 1269 RS-7

हैयदि इसे बढ़ाकर रखेंगे तो ज्यादा ग्रन्छा होगा । ग्राज मस्य प्रश्न यह है कि क्या आज हम कानन में संशोधन कर बाल श्रमिकों की समस्यात्रों को हल कर सकते हैं। देखने में आया है कि हमने वहत से कानन ऐसे बना रखे हैं जिसमें समाज में फैली बराइयों को दूर करने की परिकल्पना की गई है परन्तु वह सब कानून रखे रह गये हैं और बुराई अपनी जगह पर कायम है। इसी प्रकार बाल श्रमिकों के संबंध में हमें बनियादी वातों की ग्रोर ध्यान देना होगा तभी समाज में व्याप्त ये बराइयां समाप्त हो सकती हैं। जिन बच्चों को पाठशालाओं में पढ़ना चाहिए, मैदानों में खेलना चाहिए, उस ग्राय के लगभग दो करोड़ बच्चों को ग्राज भारत के कारखानों, दकानों, खेतों ग्रथवा निर्माण के कार्यों या ग्रन्य कार्यों में कार्य कर अपने वचपन को समाप्त करना पड रहा है। ये वे बच्चे हैं जो लाजन पालन शिक्षण भरण पोषण से वंचित होकर सीधे यवा-बस्था में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें मां वाप के प्यार की जगह दुत्कार मिलती रहे । ऐसे बच्चे जिन्हें मां-बाप के प्यार की जगह मालिकों की दत्कार मिलती रही हो ग्रीर शिक्षा के स्थान पर बडे लोगों की अमर्यादित संगत मिली हो, उनकी जवानी भी यपराधी भावना, कुंठा और मानसिक ग्रंथियों का पुलंदा वन जाती है। वह कितनी बड़ी चुनौती है कि देश का हर चालीसवां नागरिक इस भयानक दौर से गजर रहा है और न जाने कव तक यह प्रथा यभी ग्रौर चलेगी।

मजदूरी करने वाले इन बच्चों की परेशानी वार्ता करने, कानून बनाने और कड़ी भत्सेना करने से नहीं होगी, वरन् इन कारणों का निराकरण करने से होगी जिनके रहते वह अपना घर छोड़ कर दूसरों के यहां काम करने को बाध्य होते हैं। मां-वाप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें दूसरों के काम पर लगाना पड़ता है। इसका भी बड़ा कारण है उनकी आर्थिक स्थिति जिसको वह अपने बच्चे को कार्य पर भेज कर कुछ कम करने की कोशिश करते हैं। गांवों में काम करने वाले लगभग डेढ़ करोड़ बच्चों को तो प्रारम्भ में केवल रोटी कपड़े पर ही

अभे पनम्याम सिही

भ्रापने जीवन की नौका प्रारम्भ करनी पड़ती है क्योंकि माता-पिता सोचते हैं कि बच्चे के खिलाने-पिजाने पर कुछ खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए भी बहुन से बच्चों को काम पर भेज दिया जाता है। इस विवसता का निराकरण कानून में संशोधन कर कैंसे होगा? हां, इसे कुछ कम करने में मदद मिल सकती है यदि हम प्रभावी तरीके से कानून का ग्रमल करायें।

E THE MA

देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि उसके बच्चे प्रच्छी शिक्षा प्राप्त करें तथा उन्हें बचयन में पौष्टिक ग्राहार मिले जिससे उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास ग्रच्छा हो, परन्तु मज्जूरियों के ग्रागे सभी ग्राकांक्षांएं रखी रह जाती हैं। यह सिद्धांत की बात है कि जो भूखा होता है, उनी का शोपण भी सब से ग्रधिक होता है। इसी कारण इन वाल श्रमिकों से काम ग्रधिक कराया जाता है, उन्हें मजद्री कम दी जाती है ग्रौर ऐसे कार्य कराये जाते हैं जो इनसे नहीं कराये जाने चाहिएं।

समाज के ठेकेदार गरीव की इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं तथा थोड़ा बहुत धन अग्रिम देकर बाल श्रमिक को बंधुसा मजदूर की श्रेणी में कार्य पर लगा लेते हैं।

वाल श्रमिक को होटल में बर्तन साफ करने तथा श्रन्य प्रकार के कार्यों को विश्र होकर करना पड़ता है । मैंने देखा है कितने ही बच्चों को बीड़ी बनाते, साइकल में पंचर लगाते हुए, छोटे-छोटे वर्कशाप में काम करते, छोटे छोटे कारखानों में काम करते, खतरनांक काम करते हुए, •खहां उनके काले हाथ-पैर तो दीखते हैं, पर उनकी शकल पहचान में नहीं श्राती हैं।

जब किसी बारात को देखते हैं हम लोग, तो उनके साथ दिखाई पड़ता है कि एक तरफ तो बाराती चलते जा रहे हैं जो सज-धंज कर जाते हैं और दूसरी तरफ छोटे बाल-धिमक अपने सिर पर पैट्रोमैक्स लेकर रोगानी दिखाते हुए चलता है। उसकी माखों में जवासी होती है और पेट भूख से तड़पता होता है। तो उन दोनों नीजों को देखकर बड़ा कष्ट होता है कि कब तक ये बच्चे इस कष्ट को सहते रहेंगे, कब तक हम इसको देखते रहेंगे, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में।

जब तक देश में गरीबी है यह समस्या दूर नहीं हो सकती है जिसके लिए ह्मारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री—ग्रभी हमारे दोक्त श्री वाघेला साहब कह रहे थे कि क्या हमारे प्रधान मंत्री ने देखा है बाल श्रमिकों को, उन लोगों को देखा है उन्होंने यह भी कहा कि क्या इनके लिए कुछ कार्यक्रम भी दिये हैं?

मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री खास तौर से दूर-दराज की उन बस्तियों में गये हैं...

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : इन्दिवासियों की बस्तियों में भी गये हैं।

श्री वनस्थाम सिंह: श्रादिवालियों की विस्तियों में भी गये हैं, उनके बच्चों से मिले हैं, उनको देखा है। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने शायद इसी कष्ट को देखते हुए 20- व इंट प्रोग्राम खास तौर से चलाया था जिसको श्रगर हम उठा कर देखें, तो यह वही सब कार्यक्रम हैं जो उन गरीबों को ऊंचा उठाने, यानी जैसे गरीबों के बच्चों में जो कुप्रथा है, वह हूर हो सके।

मैं समझता हूं कि वह नजरमंदाज कर रहे हैं, वरना वह सब स्कीम्ज हैं जो इन बुराइयों को दूर करने की हैं, लेकिन मंत्री जी यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार में बैठ कर आप यहां से बहुत सी योजनाएं भेज देते हैं, पर उनका अनुपालन ठीक से हो रहा है या नहीं, इसके लिए आपके पास कोई विशेष मशीनरी नहीं है जो इसे देख सके। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार का न जाने कितना हपया खर्च हो रहा है, लेकिन वास्तव में उन गरीबों को जिनको लाभ दिलाना चाहते हैं, उतना नहीं मिल पा रहा है। (समय की घंटी)

सन् 1979 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कुछ सुझाव दिये थे जिसने श्रापसे यह भी अनुरोध किया है कि एक कम्श्रीहैंसिव बिल शायद ग्राप लायेंगे। केन्द्र और प्रदेशों दोनों के स्तर पर बोर्डस के गठन करने की बात श्रापसे कही गई थी, वाल श्रमिकों की उम्र को बढ़ाने के सिलिसले में ब्रापसे वात कही गई थी और बाठ कें स्टेण्डर्ड तक शिक्षा भी बति-वार्य करने के सिल सिले में बात कही गई थी। शायद उसमें यह बात भी कही गई थी कि सजा के प्रोवीजन को आप कुछ बढ़ा दें जिससे कि ग्राप इस कानून को प्रभावी ढंग से लाग कर सकें।

में समझता हं कि उसी रेकोमेंडेशन के आधार पर ग्रापने इसको यहां पर पेश किया है।

वाल श्रमिकों की समस्या के संबंध में जापने एक ग्रीर कमेटी श्रम मंत्रियों की बनाई थी 1983 में उस कमेटी ने भी पूरे देश में दौरा किया लेकिन धौर उसने अध्ययन किया। उसने क्या रिपोर्ट दी ग्रीर ग्रापने क्या कार्यवाही की सभी तक हम यह जानकारी नहीं कर पाए हैं। मैं और अधिक न बहते हुए माननीय श्रम मंत्री जी से अन्-रोध कलंगा कि आज जरूरत इस बात का है कि पाठणाला में जाने वाले बच्चों को आठवीं कक्षा तक भोजन और वस्त्र भी दिए जाएं जिससे उनके माता-पिता श्रपने बच्चों को बोझ नहीं समझें और वे उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। तभा में समझता हं कि ये बच्चे रेगुलर तरीके से शिक्षा लैते रहेंगे। दूसरे बच्चों की भिक्षा-बृति पर कड़ा कानुनी प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। यही वह जरिया है जिसके द्वारा बच्चों को मजदूर। की भट्टी में हकेला जाता है। बाल श्रमिकों के लिए नगरों में होस्टल्ज का निर्माण कराया जाए जहां भ्रच्छा भोजन मिले तथा व्या-वहारिक शिक्षा का ज्ञान दिलाया जाए। जिसका व्यय सेवायोजक वहन करे। बाल श्रमिकों की न्यूनतम श्रायु में वृद्धि की जानी चाहिए। न्युनतम मजदूरी निश्चित कराई जाए तथा वह उसे प्रत्येक दशा में दिलाई जाए तथा कार्य का समय भी निश्चित किया जाए। साथ ही जब चाहे

उन्हें सेवा से ग्रलग करने की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। वाल श्रमिकों को सेवायोजकों द्वारा न्युनतम वेसिक एमि-निटीज दिलाने की व्यवस्था की जाए। ऐसा नियम भी होना चाहिए जिससे इन्हें कठिन कार्यं में न लगाया जाए। श्रम मंत्री जी वाल श्रमिकों के इस राष्ट्रीय इक्स्य पर अपने अपने मंत्रालय को इस प्रकार पुनर्गठित करें जिससे इस राष्टीय समस्या को हल करने में मंद्रालय प्रभावी भूमिका ग्रदा कर सके। मैं ग्रधिक न कहते हुए एक व्यावहारिक स्झाव यह देना चाहता हं कि वच्चे जहां भी कार्य करें वहां के मालिकों को उनके प्रति मनष्यता का व्यवहार करना चाहिए । ग्रंत में, श्रम मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अनुरोध करूंगा कि यह संशोधन वाल श्रमिकों की समस्या के निदान के लिए मील का प्रथम पत्थर है। ग्रांप कोई ऐसा कानन बनाएं जिससे उनकी समस्यायों का निदान हो सके और साथ ही साथ कोई ऐसी मशीनरी भी बनाएं जो प्रभावी तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट भी करा सके। इन शब्दों के साथ जो यह संशोधन विधेयक ग्राया है उसका में समर्थन करता हं।

SHRI M. KADHARSHAH (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, I rise to support the Bill but my support is limited as of the scope of the Bill. The hon. Minister who was himself a leading labour leader, promised to bring a more comprehensive Bill when the discussion on this Bill in the last session was postponed. I also got the same impression. But our hopes are now belied.

Madam, the late lamented leader Mrs. Gandhi gave much stress to child welfare in her 20 -point pro gramme. The ancient Indian lawmaker Kiutilya bibited trading inchildreninhis artbasastra. The hon. Minister has not done justice either to our late leader or to the children.

Madam, India is a party to the United Nations Declaration on the Rights of the Child. The Declaration says:

"The child shall enjoy special

[Shri M. Kadharshah]

protection and shall be given opportunities and facilnies by law and other means to enable him to develop physically, mentally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions 'f freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interest of the child should be the paramount consideration."

But the best interests of the children have not been brought out in this Bill.

Madam, children are the most valuable asset of a country. In societies where the rigours of sheer survival are with numerous beset difliculties. children are bound to suffer in their growth. development and Many children in their tender age are often exploited for work in pitiable condi-There is widespread employment of children, both open and disguised, in environments and professions detrimental to their health and growth. Child labour is prevalent throughout the length and breadth of the country. It is not confined to Sivakasi alone, as the former speakers mentioned here. exists in a more vigorous manner in carpet-weaving in Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir, where the children are often tortured and branded. rampant in the tea plantation of West Bengal, in the diamond cutting of Gujrat in the quarries in Madhya Pradesh, in the mines of Bihar and in the indus-trial areas of Delhi and, to hang our heads in shame, in the Government-owned railway coal sorting ports. Madam, if a child is pressed into employment, he becomes divorced from and deprived of his 1 mate social surroundings. hours of work are long, twice that of an adult but the earnings are meagre, only half of an adult.

Child labour and non-schooling of children have a significant linkage among the poorer sections of the popula

lion. Children in cities perform a much, larger variety of jobs than in villages because of the extensively diversi fied structure of the urban economies. Every detail given 'State-wise' in the Report of the committee headed by our hon. Member, Mr. Gurupadaswamy dreadful and disparaging as if they axe bonded labour. The many Acts passed by the Government have not provided any permanent solution to the problem or permanent relief to the children. They all remain only on the statute book and the fate of the present Bill should not be allowed to go the same way. A series of Acts bad been passed to protect children and to enhance their social image, but the definition of children has net been uniform and has been subject to variations. Therefore, the rationale behind the definitions is not commendable. Despite the enactments at vaious periods, what is really lacking now, but which is much needed, is their effective enforcement.

The aim of the Intel national Labour Organisation is "achieving the total abolition of child labour". Abolition as an act of prevention is much better than the cure, namely, the regulausation of child labour-. But basically it calls for certain radical or innovative measures to do away with their employability. There should not be any motivation for exploitation of children on the part of their parents, employers and the social agencies.

Children are

night domtsliun trained nationally for many constructive and nation-build ing endeavours to become honest, honourable, responsible and respon sive citizens Children must be taught and looked after in proper environs. There should not be a occasion or chance to keep them away from schools and such other educa tional background and force them instead to hard labour and gradual

deterioration in their mental and physical conditions of living. But I am constrained to point out that out of 5,47,672 villages in the country 48,566 villages do not have schools and 1,67,382 rural schools are functioning with just one teacher each.

According to the Comptroller and Auditor-General's Report for 1983-84 35 per cent of the 4,329 posts sanctioned for the Integrated Child Development Schemes over a period of nine years remain unfilled. It is equally unfortunate that funds allotted for child welfare schemes are diverted for other uses. The UNICEFS State of the World's Children Report 1985 gives a glaring account of the Indian children. One in three is bum underweight. One in seven dies before the age of 5. And an estimated three million die every year due to lack of oral rehydration and immunization. Among those who survive, one in three families is emploved as child labour. The Government should find out why there is an alaiming increase in henous crimes against particularly children, after the International Year of the Child was declaied in 1979. Children must have a life of protection, guidance and encouragem'int-domestically parental care, politically a legislative or legal support for their sustenance and strength and avtionally an environment for their growth and achievement. So we have to find out remedial mea -sures to overcome this pernicious evil which is in our country social cancer There should be a multi-dimen; i • 1 \\ approach and a mulu-pronged on child labour. Total, fictive and if necessary, an absolut ^ nolementation of compulsory schooling of children should be education undertaken. The Government should implement family welfare measures an effective manner. The population growth should contained as a firs' step. A na*ion-wide social welfare scheme like a free scheme should be nutritious meal implemented eliminate to the employment of child labom. Our

State Government of Tamil Nadu owes much to the inspirational, motivational and institutional scheme of the hon. Chief Minister, Dr. MGR.

The compelling circumstances that lead to child labour should be identified and the contributary factors should be eliminated. A relentless campaign should be carried out to generate social awareness among the general public.

Voluntary organisations should also be involved so that we can cover large areas. I would like to quote the Director-Geneial of the International Labour Organisation who has said like this:

"The problem of child labour cannot be left aside unitl economic conditions and social structures are fundamentally improved.

The very socio-economic system is based on a wrong footing. After three decades of Independence, a larger percentage of India's population has gone below the poverty line than before two decades."

So, the very fabric of our socio-economic structure should be thoroughly changed. The Gurupadaswamy Committee gave more than 25 recommendations and all those recommendations should be implemented by the Government in a serious manner. Madam, I welcome the setting up of Welfare Boards Government. But there should be separate Boards for the various States. The Government has not defined the provisions properly and has not defined which are hazardious jobs and which are not. The Bill covers only children below 15 years. But adolescents who are between 15 and 18 years should also be brought within the. purview of this Bill. Stringent and deterrent punishment should be meted out to the inhuman, exploitative and capitalistic forces in industries that go on

[Shri M. Kadharshah]

insisting on child labour. The aforesaid measures, if implemented with a disinterested, dedicated and com-mited approach, will achieve abolition of child labour- It is our duty to rear good children, make them happy and prospective partners for a better future. The continuance of child labour in equal and independent India is a matter of utter disgrace, mental torture and a stigma on our society. So, I request that the Government should come before the House with a comprehensive Bill. Thank you, Madam.

श्रीमती सुधा विजय जोशी (महाराष्ट्र) : माननीय उप-सभापति महोदया, सुकोमल बालकों से खतरनाक काम करवा लेना पाशवी बर्ताव है जिसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए 1938 का एम्पलायमेंट **ग्राफ** चिल्ड्रेन एक्ट बनाया गया और इस कानून में संशोधन करन के लिये यह विधेयक लाया गया है । इस कानून के सेक्शन 3 का उल्लघन करने के जुमें की सजा बढ़ाई गई है। बाल मजदूरों के बारे में गलत काम करने वाले मालिकों को ज्यादा कड़ी सजा देने का प्रबंध इस विधेयक में है। यह सही कदम है, इसमें कोई भी शक नहीं । चाइल्ड एम्पलायमेंट के बारे में मालिकों के पहले गुनाह में और उसके बाद होने वाले गनाहों में इस संशोधन में फर्क किया गया है । ठीक है सजा बढाई है, पहले गुनाह के मुकाबले में आगे होने वाले गुनाहों के लिये ज्यादा सजा दिलवाई है, फिर भी इससे चाइल्ड लेबर की समस्या मिटती नहीं, शायद श्रंशतः कम होती होगी।

महोदया, चाइल्ड लेबर के और अंगों का विस्तार में विचार करने की इस समय आवश्यकता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश की आज की आर्थिक अवस्था में चाइल्ड लेबर पर पूरी पाबन्दी लगाना संभव नहीं। यह बात कटु है लेकिन सत्य है।

1971 के सेंसस के अनुसार चाइल्ड लेबर फोर्स 1.07 करोड़ थी। 21 जनवरी, 85 को अतारांकित प्रश्न कमांक 138 के जवाब में यह कहा गया है। माननीय मंती महोदय ने यह भी कहा है कि चाइल्ड लेबर की समस्या दूर करने के उद्देश्य से एक सुगठित कानून लाने का विचार उनका मंतालय कर रहा है। हमारे देश में बाल मजदूरों की संख्या इतनी है कि फैमिली इन्कम का 23 प्रतिशत हिस्सा इन बाल मजदूरों की श्राय से श्राता है।

इनको जो दिक्कतें सहनी पडती हैं वे भी अनेक विध हैं। पहले तो जिस हालात में ये काम करते हैं वे इतनी खराब होती हैं ग्रौर जिस जगह पर काम करते हैं वह जगह इतनी गंदी होती कि मनुष्य के ठहरने के लायक नहीं होती । दूसरे काम के लंबे घंटें, तीसरे काम भी खतरनाक किस्म का। इससे हर तरह के रोग के ये बच्चे शिकार हो जाते हैं । इसके साथ-साथ किसी भी प्रकार की वद्यकीय सुविधा इनको नहीं होती । तिमलनाड के दियासलाई बनाने के कारखानों में खतरनाक केमिकल्स के साथ काम करने वाले 45 हजार बाल मजदर इसका ज्वलंत उदाहरण हैं । य एन के मानव हक कमीशन के गुलामी पर संशोधन करने वाले विकिंग ग्रुप ने धपनी रिपोर्ट में कहा है कि तीस, तीस किलोमीटर दूरी पर से वसों में और लारियों में भर भर कर बच्चों को काम के लिये लाया जाता है। इतनी दूरी से यह बच्चे लाये जाते हैं तो जाहिर है कि उन्हें बड़ी जल्दी इन बसों में और लारियों में चढाया जाता है। यह बच्चे बड़ी सुबह 3 बजे से 5 बजे तक लारियों में भरे जाते हैं और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक उन्हें उनके गांवों में पहुंचाया जाता है। दिन भर काम और रात को पुरी नींद भी नहीं, यह है उनकी दयनीय अवस्था । कलकत्ता में एक स्टेडी ग्रुप ने सर्वे करके जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार 60 प्रतिशत बाल मजदूर हफ्ते के सात दिन काम करते हैं और बहुतांश बच्चे पर्याप्त खुराक के अभाव से बीमारी के शिकार हुये नजर ग्राते हैं। उत्तर प्रदेश और जम्म काश्मीर में यह बच्चे कार्पेट बनाने के कारखानों में काम करते हैं। वैसे ही बनारस में सिल्क की साड़ियां बनाने में लगे रहते हैं । जिस हालत में यह काम करते हैं उससे दृष्टि क्षीण होने या दिष्ट खोने की भ्रापत्ति उनके ऊपर ग्राती है। यह खतरा इस व्यवस्था का ग्राम खतरा

206

है जो इन बच्चों को छोटी उम्र में ही भुगतना पढ़ता है। इसी प्रकार के खतरे महाराष्ट्र और गुजरात में हीरे की पालिश करने वाले कारखानों में काम करने वाले बच्चों को भी है। इतना ही क्यों, रेलवे भी बच्चों को कोयला साटिंग यूनिट्स में लगाती है। बह सब काम वच्चों के लिये विलकूल खतरनाक हैं। उन सब बातों को ध्यान में लाने से हमें साक पता चलता है कि बाल मजदूरों के बारे में एक ऐसे परिपूर्ण कानन की स्नाव-यसकता है जिस में उनके कल्याण की पूरी व्यवस्था हो । उसको नान फार्मल एजुकेशन देते की सुविधा हो ग्रीर उनके ग्राधिक विकास पर भी ध्यान दिया जाय । यह कान्त ऐसा भी हो जिससे मालिकों पर यह भी बंधन रहे कि वे बाल मजदूरों को काम की जगह पर योग्य वातावरण ग्रीर मलभूत मुविधायें उपलब्ध करायें । नियमित ग्रीर अनिवार्व वैधकीय जांच ग्रीर ग्रारोग्य सेवा उन को उपलब्ध हो । स्किल्ड डवलपमेंट ट्रेनिंग भी उन्हें मिले और इस सब की जिम्मेदारी मालिकों की होनी चाहिये। इस प्रकार के कानून की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है और इस कानून पर अमल ठीक से हो रहा है या नहीं इसके ऊपर निगरानी रखने वाली यंताणा की भी निर्मिति इस कानून के ग्रन्तरंत होनी चाहिये । ऐसी यंत्रणा के ग्रमात से एसे कानून का कुछ भी फायदा नहीं होगा ग्रीर चाइल्ड लेबर जैसी गहन समस्या का हल भी नहीं निकलेगा । इस प्रकार की यंत्रणा की निर्मित ही पर्याप्त नहीं बल्कि यह यंत्रणा बड़ी कार्यक्षम होनी चाहिये और हर एक राज्य में ऐसी सक्षम यंत्रणा होनी चाहिये । इसी संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध कर्हगी कि दिल्ली में हथे एक सेमिनार में प्रोफसर के ० डी ० गांगुर्डे ने जो सुझाव दिया था वह स्झाव सोचने लायक जरूर है। उन्होंने कहर था कि वाल कल्याण ग्रीर वाल मजदूरी के संबंध में जो कानून हैं उनकी कार्यवाही यथा योग्य हो रही है या नहीं इस के ऊपर कड़ी नजर रखने के लिये सरकार एक प्रोटेक्टर जनरल की नियुक्ति करें। महोदया, इस ने अलावा में यह भी स्चित करूंगी कि इस मामले में सेवा भावी संस्थायें बहुत कुछ कर सकती हैं । जगह-जगह पर ऐसी सेवा भावी संस्थायें हैं उनके जरिये बड़ी भारी तादाद में जनजागृति हो सकती है जिससे

कि बच्चों को बुरी तरह से काम में लगाने की प्रवृत्ति कम होगी और इस समस्या का हल निकालने में मदद भी मिलेगी। महोदया, ग्रीर भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में फिर से सोचने की ग्रावश्यकता है ग्रीर वह है कि ग्रतग-ग्रलग कानुनों में बाल मजदूरों के बारे में सूचित की हुई न्यूनतम उम्म । फैक्ट्रीज ऐक्ट के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना गुनाह है। माइंस ऐक्ट के अनुसार यह आयु 15 साल की है और प्लाटेशन ऐक्ट के अनुसार 12 साल की मर्यादा है। मेरे ख्याल से. मीनिमम एक का प्रकृत स्टेट लेबर मिनि-स्टरों की कमेटी को सौंप दिया गया है। कमेटी का कहना है कि मौजूदा हालत में सब कानुनों में वाल मजदूरों के लिए एक ही मीनिमम एज का प्रस्ताव रखना उचित नहीं होगा। फिर भी अलग-अलग काननों में, प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन में जो वृटि है उसको दूर करने के लिए मौजूदा प्राविजंस में कुछ परिवर्तन उन्होंने सुचित किए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बाल मजदूरों के लिए परिपूर्ण कानन सरकार बनाये, यही मेरी माननीय श्रम मंत्री महोदय से प्रार्थना है।

इन गरदों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती है।

डा० बापु कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, दो तीन दिन से यहां पर दो विधयकों के ऊपर चर्चा चल रही है। एक तो बंधुग्रा मजदूरी का संशोधन विधेयक यहां चला और उसका संशोधन विदेयक हमने पारित कर दिया। उसके बाद आज स या कल स बाल श्रमिकों के बारे में एक नया संगोधन ले कर सरवार यहां आई है।

महोदया, ये दोनो विधेयक गारत की दरिद्रता के अभिषाप के गहरें लक्षण है और जब तक दरिवतः के बारे में कोई बुनियादी काम यह सरकार नहीं करेगी तब तक आपकी ग्रौर हमारी मौखिक सहानुभृति उन लोगों के सवालों को इल नहीं कर सकेगी।

महोदया, हम तो यह भी देख रहें हैं कि कई सालों से जिन जगहों पर हम डा॰ बाप कालदाते]

बाल श्रमिक देखते नहीं थे, उनमें से ऐसे कई नये स्थान पैदा हो गये हैं जहां वाल श्रमिक पैदा हो रहे हैं। ग्रलग-ग्रलग फैक्टरियों में जैसे दरियों की फैक्टरियों में, डाइमंड पालिश करने वाली फैक्टरियों में, दियासलाई वालों में, बट पालिश करने में वाल श्रमिक पाए जाते थे, लेकिन ग्रभी ग्रगर ग्राप रेल से चले जाये तो मैं दो चार साल से यह देख रहा हं कि रेल की जो समाई सेवा होती है वहां भो ग्राजकत यही बच्चे काम करते हैं क्योंकि रेल के समाई कर्यचारी कभी-कभी वहां उपस्थित नहीं होते हैं । सभी एक नहीं 10, 15 या 20 उदाहरण मैं दे सकता हुं कि जहां हमने पहले कभी बाल श्रामिक नहीं देखें थे वहां वाल श्रमिक बहुत बढ़ गये हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मले हो ग्राप 21वीं सदी कहें, भले ही कितने नारे ग्राप लाते रहें जब तक कोई उपाय इन ब्रनियादी सवालों के बारे में सही माने में ग्राप नहीं करेंगे तब तक इन नारौं से गरीबों का पेट नहीं मरेगा । जो चाहते थ कि एक नया बलास सोसायटी में बने-A new class in this society, they are happy with your slogans. And not those poor people who are suffering, not only today, but for so many years in this country.

तो सवाल यह है कि इसके बारे में मंत्री जो क्या कर रहे हैं। मैं जानता हुं कि मंत्री जी ज्यादा जानकार हैं लिकन हम कहेंगे कि आप जो लोग बैठे हये हैं सरकार में जो सरकार का वार-वार समर्थन करते है उनसे हमारी बार-बार दरख्वास्त है कि इस बोमारों कोहटाने के लिये ग्राप कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करें कि उनकी कहा-नियां हमको बार-बार न सुननी पडे । ग्राप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जिनके पास ज्यादा काव्यात्मता होती है वं काव्यात्मक भाषण करते हैं । सवाल यह है कि इस दरिद्रता के सवाल का हल क्यों नहीं हो रहा है और इसे दिन प्रतिदिन यह पेचीना होता जा रहा है। इसके बारे में यहां पर जो भी रिपोर्ट हैं जिनका जिन्न माननीय सदस्यों ने किया है मैं नहीं कह रहा हुं लेकिन जो भी इंटरनेशनल ग्रार्ग-

नाइजेशंस हैं उनके जरिये जो झांकडे प्रस्तुत हुये हैं उनमें एक बात साफ है कि हिन्दु-स्तान में सबसे ज्वादा ताददि में वाल मजदूर हैं । दनिया में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक भारतवर्ष में हैं। सबसे ज्यादा तादाद इसी देश में हैं इस बात की तरफ हम लोगों को बहत गंभीरता से देखना होगा। जो भी कुछ ग्राधिक व्यवस्था ग्राप बनाने जा रहे हैं, जो आधिक नीति बनाने जा रहे हैं, जो सप्त पंचवर्षीय योजना में कुछ नीतियां ग्राप ग्रपनाने जा रहे हैं, जिस ढंग से क्पड़ा उद्योग की नीति अपना रहे हैं ये सारी नीति इसी नतीजे पर ले जायेगी कि देश में दरिद्रता दिन पर दिन वढती जायेगी। में आपसे यह अनुरोध करूं कि इस बहस को चलाते हुये ग्राप इसमें जरा गंभीरता से देखिये और यह भी देखिये कि 5, 10 ग्रीर 15 सालों में जो बालक श्रामिकी की संख्या बढ़ी है उनके कम करने रास्ता क्या हो सकता है। Can there be a possibility of having a timeframe programme in which we can cut down the number of child labour and bring them in the mainstream of life where they can enjoy life as well as become active participants in the development of this country?

इसी दृष्टि से कुछ न कुछ करना चाहिये। ग्राप से हम अपेक्षा करते हैं कि इस संशोधन विधेयक का जवाब देते समय ग्राप हम को इस बात का जवाब देंगे कि 15, 20, 30 सालों के ग्रन्दर इस देश में कोई वालक जो नहीं चाहता कि दरिव्रता के कारण वह मजदूरी करे, ऐसी अवस्था इस देश में कब खत्म करना चाहते हैं इसका भी जवाब देने का प्रयास करें। 1979 में जब बाल वर्ष मनाया गया था और जन त पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने एक आयोग की नियुक्ति की थी और इस सदन के मान-नीय सदस्य श्री गरूपदस्यामी के नेत्रव में एक नेशनल लेवल पर इस समस्या का ग्रध्ययन करने के लिये एक कमेटी बनाई गई थी । मैंने देखा है कि उनकी जो रिकर्मेडेशंस थी वे रिकर्मेडेशंस पटल पर नहीं ग्राई । क्योंकि जिस ढंग से सरकार उस समय चलती थी जिस ढंग से उस समय सरकार चल रही थीं उस कारण से वह सदन में नहीं था सकी । वैसे वह गवनमेंट के दफ्तर में पड़ी हुई है सरकार के पास उनकी रिकमेंडेशन था चुकी है। अगर आप इसको देखेंग, इस ृष्टि से अगर सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे तो धीरे-धीरे, स्टैंप वाई स्टैंप याई एम नाट सेइंग आप यह सब कर लें लेकिन छोटो-छोटी रिकमेंडेगंस जो उन्होंने की है वे धीरे-धीरे अगर आप उसको स्त्रीकारते रहे, उसके इम्पलामेंटेशन करने का प्रयास होगा तो मुझे लगता है इस प्रक्रन को हम बहुत जल्दी ही हल कर लेंगे।

दूसरी जो दिक्कत है इस संबंध में जहां-जहां अनुयार्गेनाइड सेक्टर हैं, वहां ग्रापका लेबर डिगर्टमेंट कुछ नहीं करता । महाराष्ट्र में एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम हम चताते हैं। मैं यह कहता हूं कि एम्प-लायमेंट गारन्टी स्कीम को ग्रगर ठीक ढंग से लागु करना है या हमारे देश के दूसरे कानन है मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये उन पर सरकार का प्रबंध होना चाहिये। नीचे के स्तर से लेकर राज्य के स्तर तक यह होता नहीं है । यह भी हालत है कि जो चाइल्ड लेबसे हैं वे बहुत हद तक अनुआर्ग-नाइज्ड सेक्टर में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हं कि इसके लिये ग्रच्छे 'ग से स्टाफ मैतेजमेंट हो जो सरकार के पास जा सके उनसे कह सके और वह उसके बारे में कुछ न कुछ अमल करा सकें। इस दुब्टि से कोई भी व्यवस्या हमने ग्राज तक नहीं की है। जो ब्राज तक कानून पास हथे हैं एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है 100 रुपये कुछ नहीं है, बहुत पुरानी बात है, जिस पर ग्राप यह संशोधन लाये हैं, मैं श्रापसे पूछता हूं कि कितने लोगों को 100 रुपये फाइन किया है, यह आप हम को बताइथे कि कितने लोग जेल गये उसके कारण ? क्योंकि यह लड़का तो कोई शिकायत कर नहीं सकेगा ग्रीर न उसकी शिकायत सुनने वाला कोई है, न वह अपनी शिकायत कोर्ट में ले कर जायेग स्योंकि इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा एक पूजाव यह है कि सरकार सेन्ट्रल लंबल पर सैल बनाये । हमने देखा कि चाइल्ड लेबर के बारे में, वेलफेयर के बारे में, उनके डबन-

पमेंट के बारे में कोई सेल नहीं है कोई आर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर यह सुझाव, जो दो मुझाव मैंने दिये हैं, एक तो सारे राज्यों में लेबर वंतफेयर डेवलपमेंट बोर्ड जैसा हो और इनको देखने के लिए, इस कानन को ग्रमल में लाने के लिए अगर व्यवस्था हो सरकारी तौर पर तो इन दो कामों को ग्राप तुरन्त कर सकेंगे। में जानना चाहता हूं यह कब तक हो जायेगा ? बाकी जो सवाल है, एजुकेशन के सवाल हैं, मैं ग्रगर कहं कि ग्रन्य देशों में यह है कि वकिंग मैन के लिए एज़के-जन की व्यवस्था है, कई देशों में मैंने देखा है कि जहां लड़के फैक्टरी में काम करते हैं वहां फैंश्टरी के पास ही शाम के स्कूल होते हैं। and that he himself gets proficient in the profession which he is engaged, ऐसी कोई व्यवस्था हम कर सकते हैं क्या? जहां तक हाइजीन का सवाल है एक वैद्य शास्त्र का जानकार होने के नाते मैं यह कहूं कि ब्रेन से लेकर बदन तक सारी तन्दरुस्ती की उम्र यही है। 5 साल से दस साल के बीच में ही बच्चे का बेन और लंज मजबत होता है ग्रीर 18 साल तक उसके मसल्स ग्रीर जिस्म तैयारहोता है। इसी उम्र में अमर उसका बेन खराव हो जाय, मसल्स खराब हो जायें, लंज खराब हो जायें तो ग्रामे उसका विकास नहीं हो सकता है। बाल श्रमिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। ऐसी स्थिति में उनको इस श्रम से बचाने के लिए जो भी उपाय किये जायें, चाहे वे हाइजिनिक हों या एज्केशनल हों, वे किये जाने चाहिएं। उनके लिए कोई इंसेंटिव जैसी चीज हो तो वे उपाय भी किये जाने चाहिए। इन सारी बातों को महेनजर रखते हुए यह जो सन् 1938 क ऐस्ट में संशोधन करने के लिए 1985 का बिल लाया गया है उसके बारे में इम्फेटकली में यह कहना चाहता हुं कि सभी माननीय सदस्यों की, चाहे वे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हों, एक राय है कि इस 1938 के कानून से काम चलने वाला नहीं है, सरकार को एह नया कम्बेहैंसिव विधेयक इन सारी सपस्याओं को देखते हुए लाना चाहिए

[डा० बापू कालदाते]

जिसके माध्यम से हम कुछ न कुछ बालकों के लिए कर सकें। मैं चाहता हूं कि ऐसा बिल आप जरूर लायें। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

SHRI MAHENDRA PRASAD (Bihar): Madam Deputy Chairperson, the two super-powers, the U.S.A. and the U.S.S.R. fought, hand in band, against the dictatorial and tyrannical Hitler and Fascist Mussolini in the second world war. The long-drawn second world war was decisively wen by these two super-powers and Hitler and Mussolini were crushed to defeat, The world was saved from humiliation and slavery of Nazi Germany, fascist Itlay and Japan of Hirohiro. The U.S.A. and the U.S.S.R., with diverse and conflicting ideologies, had joined hands out of fear to eliminate bigger enimics who threatened the existence of both of them. Once the war vais over and the fear gone, their differences surfaced and the besom friends bitter enemies. Several. countries of Europe like Rumania, Bulgaria, Poland, Hungary, Czechoslovakia, Yugoslavia, one after the other, came under ideological Communist subjugation. The U.S.A. was against it and fermed a powerful block, with so many alliance like CEATO, CENTO, NATO etc. with Western and other countries, to fight and resist communism. The friends of yesterday because fors. A cold war developed between the two blocks and the world was threatended with a third wante war. The third world war cannot be like the other two world wars. The superpowers and their allies had piled up heaps of nuclear weapon and a world war not meant annihilation of mankind. The U.S.S.R. wanted communism to spread all over the world while the U.S.A. bated it and wanted it to be contained or, if possible, eliminated.

उपसभापति : महेन्द्र प्रसाद जी, **ग्रा**प इम्प्लायमेट भाफ चिल्डुन बिल पर बोलिए ।

SHRI MAHENDRA **PRASAD: I** am coming to that. I am making it a little juicy.

In this background of cold war came the early sixties and by far the most difficult world problem of Cuba. President Eisenhower bad been replaced by young President Kennedy in 1960-61 and Cuba, the next-door neighbour of the **U.S.A.** under the leadership of great Fidel Castro, had declared itself to be a communist State and an ally of the U.S.S.R. Communism, the most,hated thing of the Americans, was at their doorstep. It was a question of life and death for the U.S.A. Kbruscbev and Kennedy, it appealed in October, 1962, had brought the world to extinction by starting nuclear warfare. The light and life of the world could have been ex'inguished any moment by any play or display of emotions. President Kennedy wanted to attack Cuba which was to IJC defended by Khruschev; it all meant nuclear world war and an end of human race and civilisation

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill.

SHRI MAHENDBA PRASAD:

Itis said tit) at young Kennedy was in great tensioi "on of to order the pre: american nuclear warheads. Before he could, order thi 1 zard, be wanted to be tremendous amount of tension he was undergoing. He two kids, his daughter Carolina and his son, Jhon-Jhon, to be brought before him and made to play. The two sweet children, of Kennedy saved the world by playing before the President of the United States of America and relieving their father of his tension, which resulted in the change of mind of Kennedy and reaching On agreement on Cuba. Such is the magic of children.

213

The great luminary and the greatest of the great statesman of the world of his time, Pt. Jawaharlal Nehru had no weakness except his most abiding weakness for children and roses. Such a great and, busy man, lie used to get lost in the company of children and behaved funnily like an innocent, naughty child. One of the most beautiful and spectacular photographs of Pt. Nehru is in his walking playfully in a fourlegged posture like a horse with his giandson on his back on the slope of a lush green lawn somewhere Kashmir. In the company of children nobody could think that he was the erudite Prime Minister of the largest democracy and the greatest statesman of the world. He drew inspiration from children. He bad so much love for the children that bis birthday, 14th November, is celebrated as Children's Day.

children are the loveliest and the best creation of God and nature. They are our hope of tomorrow. They are our future strength. The quality and strength of our tomorrow's nation depends on the quality, character and strength of our children of today. The future of our nation depends on our children of today. Weaker the children of today is the weaker nation of tomorrow. If our children are uneducated, ill fed, illclothed, unhealthy, underdeveloped, weak and exploited the fibre of our nation will be weak and we will lie laving the foundation of a weak country, a country prone to subjugation, slavery and domination. If we want a united, strong, prosperous and free India, we must invest abundantly on our children resource. Our children are the best resourceof our country. They are our future, one and all. We can't afford to ignore them. Ignoring them is ignoring our freedom and future. We must educate them, build them and develop them if we want to build our country. We can ill-afford to waste them.

A look at our children-resource makes us aghast and ashamed. A large number of flower like innocent children in India, who should have gone to school for building their knowledge and character, are exploited and forced to take employment to earn their bread. These are the exploited and neglected children who grow into hardened criminals. Liability and national waste, they are danger to civilized and orderly development, prosperity and freedom of India. The shark-like employers are on the look out for and find the chicken in the children; after all, the chickens are better and tastier than hens and cocks; easily catchable, they are cheaper too. Even a stone-heart will melt seeing clotheless small children, working in the dead of chilly winter midnight for bread. The scene of child labour in India is pathetic and heart-rending. It is a pity; it is a national crime; it is a subjugation of our national interests. It must stop in the interest of unity, integrity, prosperity and freedom of our country A nation which cannot take care of its children. cannot take care of its freedom. The present Bill on Child Employment has laudable objective and must have our unanimous support. Child labour and exploitation must end to save the country.

Madam, but, let us, for a moment extricate ourselves from the cobwe of emotion and peep deep into hard reality of life. Could Kennedy's children be exploited for cheap labour? Can my and your children be exploited?

3-OO P.M.

[SHRI MAHENDRA PRASAD]

Who are these children and whose are these children who are exploited for cheap labour? Have you ever thought about it? These are those children who will starve if they do not allow their labour to be exploited. These are the children of poor parents who cannot afford to protect, feed, clothe and educate their children These children and their parents allow their labour to be misused and exploited to save themselves from starvation. They have no way out. Even in now prosperous Japan, after the Second World War ravaging and famishing, the children used to work. Small children used to make toys and sell them to American and European tourists.

The famous 18th century English poet, William Blake, has vividly described the child labour and its exploitation in the then underdeveloped England. Britain could extricate itself from the ignominy of child labour only after they removed poverty from their land

Let us make legislation against child employment. But no such legislation on earth will be executed and will stop child labour until and unless the demon of hunger and poverty is eradicated from our society.

Madam, have we not seen halfnaked small children rushing at the stoppage of cars at light crossings of Connaught Place and other light crossings of busy Delhi roads for selling evening newspapers? Have we not seen mothers exploiting their small babies in their laps and even babies in their wombs at these light crossings on Delhi roads?

उपसभागीत: महेन्द्र प्रसाद जी आपका समय खत्म हो गया है।

SHRI MAHENDRA PRASAD: Just two minutes, Madam. Are they doing this because there is no such legislation, or will they stop their own exploitation because of this legislation which is for the consideration of dais august House. It is hunger and

poverty and fear of starvation that drag parents and their children to allow themselves for child employment and labour-exploitation. Removal of child employment through legislation will be an Utopian indulgence until and unless we remove the ignominy of poverty from every hut of this vast country. If we are really serious about the business and if we do not want to suffer from the guilt of an eye-wash, we should adopt a national policy so as to give equal and free education, food, clothing and health-care to every child in India. If that happens, there will be no need for any such legislation as is before this House for its consideration. If this does not happen, no legislation on earth will stop child employment and this legislation will prove farce, superficial and unexecuted; it will be a breeding ground for corruption. If we want to eradicate child labour, let us eradicate poverty first. Smash the hunger, smash child labour. Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Kalyanasundaram. Not there. Shri Satya Prakash Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय प्रदेश): महादया, भारत के बच्च जिनके बारे में ग्रमो पूर्व बनता न कहा "लवली चाइल्ड" ग्राज कितने ग्रसहाय ग्रीर कितने भृखे हैं, कितन धनाथ हैं, कितन अधिक्रित हैं। इसका प्रमाण यह वतंत्रान संगो**वन** विवेयक है जिसका नाम वाल धामिकों के कानन से संबंधित है। तन् 1938 में वर्तमान कानुन बना था फ्रांर तब से लेकर आज तक आजादी के बाद भी 35-36 वर्ष बीत चह लोकन ग्राम फिर मजबर होकर सरकार को बाल श्रीकों के संबंध में जो कानन है उसमें संगोधन लाने की ग्रावण्यकता क्यों पड़ी? इस पर विचार करना चाहिए। वास्तव में भारत जैसे देश में इस प्रकार का कानून ही एक कलंक है क्योंकि हमको समस्या की जड में जागा चाहिए। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये राष्ट्रीय निधि हैं, हमारी राष्ट्रीय

सम्पत्ति हैं ग्रौर इनकी देख रेख, इनका भरण पोषण, इनकी शिक्षा और यदि ये बीमार पड जायें तो इनकी दवा, इनके रहने का इंतजाम ये सब जिम्मेदारी जो राष्ट्र है सरकार है इसकी होनी चाहिए। लेकिन ग्राज कितने दुर्भाग्य का विषय है कि स्टेशन पर द्रमर श्राप जाइये, चाहे रेल के स्टेशन पर या वस के ग्रहें पर तो वहां पर ये छोडे-छोटे बच्चे सड़क से बीन बीन कर खाना खाने को मजबूर होते हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कनक मुखर्जी) **पीठा**सोन हुई]

धुंठन को वहां से यह **बीनते हैं श्रीर** पत्थर तं(इने को मजबूर होते हैं, कुली का काम करते हैं। दस-दस, बारह-बारह साल के लड़के ऐसा काम करते हैं। चुंकि उनके खाने की, कपड़े पहनने की व्यवस्था नहीं हो पाती इसलिए यह वच्चे रिक्शा चलागे की मजबूर हो जाते हैं। हमारे **देश** का जब संविद्यान बना था, उस समय हमारे संविधान निर्मातात्रों ने इसिसए उसमें ग्रन्च्छेद 15 सब-क्लाज 3, ग्रन्च्छेद 39 ई० तय। एफ० ग्रीर भनच्छेद 45 की चर्चा की थी । सत्विधान सन् 1950 में लागु हो गया, लेकिन ब्राब तक इस सम्बन्ध में कोई भी सरकार भने ही सही हो, उनकी स्रोर से कार्यनहीं हुआ। बच्चे मजबर होकर के मजदूरी का काम न करें, इस मोर कोई भी कदम ग्राज तक नहीं उठाया जा सका। मैं सबंत पहले ध्यान आकर्षित करना चाहुंगा संविधान की धारा 15 उपघारा ३ को श्रोर...

"Nothing in this article shall prevent the State, from making any special provision for women and children."

इसक बाद दूसरी धारा है 39 की "ई" म कहा गया है

- "39. The State shall, in particular, direct its policy towards securing—
- (e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not

forced by economic necessity to enter avocations unsuitect to their age or strength; "

भीर "एफ" में कहा गया है

"(f) that children are given op portunities and facilities to deve lop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.'

लेकिन ग्राज ही एक विशेष उल्लेख में कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्य, विद्वान सदस्य थी पो०एन० सुकुल ने इस सदन का ध्यान धाकवित किया है कि किस प्रकार इस देश के बच्चों का एक्सप्लायधेशन होता है। पिछले सत्र में बिहार की ग्रोर ध्यान शाकपित किया गया था, महां बराबर बच्चा के नरमंडों की काट-काट करके ब्यापारी विदेशी की भेजा करते थे। बाब यह हालत है हमारे देश भे बच्चो को स्नोर हर इसकी जड़ में नहीं पहेंक सके हैं। आज मञ्जूर होकर के बच्चों को ऐसा काम करना पहला है, जबकि उनकी कुछ पढ़ना चाहिए. लिखना चाहिए ताकि मोबध्य में राष्ट्र के निर्माण क्षेत्र काम में लग सके। इस आंर ध्यान प्राकृषित होता चाहिए।

ग्रभी पिछले सब में सरकार ने जो शिका की चुनंती नीति संबंधी परिश्रेक्ष प्रकाशित करवा के बंटवाया है। मैं उसके पैराग्राफ 2 सब-क्लाज 27 की घोर ध्यान ग्राकवित करना चाहता हं, जिसमें इस बात को माना गया है कि सन् 2000 में हमारे देश में दिनया के सारे देशों के मुकाबले में सबसे प्रधिक प्रशिक्षित लोग होंगे। विश्व बैंक के प्राक्कलनों के अनुसार 2000 ईसवी के वर्ष तक विक्व में सबसे प्रधिक अनपड़ भारत में होंगे। पन्द्रह वर्ष से 19 वर्ष के बीच के जिएव की निरक्षर म्रावादी में 54.8 प्रतिशत लोग भारत में होंमे। यह दुवंशा है आज हमारे देश की श्रीर जिस इक्कीसवीं शताब्दी की हम कल्पना करते हैं, उस इक्कीसवीं शताब्दी

श्रीं सत्य प्रकाश मालवायी के शरू होते-होते भारत सरकार की शिक्षा नीति के प्राक्कलनों के ग्रनसार, उनके श्रांकड़ों के श्रनुसार हमारे देश में दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा अनपढ़, अशिक्षित लोग होंगे। वर्ष 1979 में सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया गया ग्रीर उस वर्ष में एक कमेटी बनाई गई थी जनता पार्टी की सरकार के समय में, जिसका नाम था---"रिपोर्ट ग्राफ दी मेटी ग्रान चाइल्ड लेबर"। इस कमेटी में इसी सदन के माननीय सदस्य श्री एम०एस० गरूपदस्वामी, कांग्रेस पार्टी की ग्राज जो मंत्री हैं मिसेज माग्रेट बाल्वा और कांग्रेस "एस" के श्री एस०डब्ल्० धाबे यह तोन माननीय आज की राज्यसभा के सदस्य, उस कमेटी के सदस्य थे ग्रीर इन लोगों ने बड़ी मेहनत करने के बाद'दौरा करने के बाद, सारा ग्राकलन करके रिपोर्ट प्रस्तृत की थी। लेकिन बहुत हो दुख का विषय है कि उस रिपोर्ट की एक भी संस्तुति को नहीं माना गया। मेरा सरकार से अनुरोध है, अंज्जैया साहव से अनुरोध है, जो कि एक अजार श्रमिक नेता रहे हैं और सुलझे हुए राज-नीतिक हैं, उनसे निवेदन है कि वर्तमान विधेयक को वापस लें इस रिपोर्ट में भी इस बात को कहा गया है। हमारे संविधान में चाइल्ड की परिभाषा क्या है-छह वर्ष का बच्चा चाइल्ड होगा, 18 वर्ष का बच्चा चाइल्ड होगा, 12 वर्ष का बच्चा चाइल्ड होगा। इसकी कोई भी परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी हुई है । इसकी ग्रोर गरुपदस्वामी साहब की जो कमेटी थी, उसने भी ध्यान धार्कावत किया है और यह आवश्यक है कि बच्चे की जो परिभाषा है, निश्चित होना चाहिए कि कितने साल का जालक बच्चा होगा। इसके लिये निश्चित रूप में एक बडा व्यापक कानुन बनाना चाहिए । किसी कानन में 10 वर्ष का वालक बच्चा कहा गया है, किसी में 14 वर्ष का। गरुपद-स्वामी जी की कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें इसी ब्रोर ध्यान ब्राकर्षित किया गया है, जिसके पैराग्राफ 3.152 में कहा गया है ---

"Of the ten major Acts which include provisions relating to employment of children, five have defined the 'child' as below 15 years of age, three provide for the age of 14, one provides the age between 12 and 14 and another that of 12."

इस प्रकार से 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे को इस परिभाषा में रखा गया है और इसके अलावा इस रिपोर्ट में ग्रोर भी बहुत ग्रन्छी-ग्रन्छी संस्तुतिया है। मेरा सरकार से अनरोध है कि इन संस्तुतियों को पूरा का पूरा लाग करने की कृपा करें और संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रावश्यकता नहीं है कि यह जो समस्या है, उसको जड़ से समाप्त करना है और जड़ से तभी समाप्त होगी, जबकि सरकार इस विषय में इस संबंध में एक व्यापक विधेयक लाएगी चौर विधेयक लाने के बाद हम सब उसका स्वागत करेंगे। इस प्रकार का संशोधन लाने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी बाप कालदाते साहव जो कह रहे थे, मेरा भी वही प्रश्न है, मंत्री महोदय कुपया अपने उत्तर में बताएं कि आज तक कितने ऐसे लोग हैं, जिनको पिछले चार वर्ष के अंदर इस वर्तमान कानन के अंतर्गत अदालतों से, न्यायालयों से सजा हुई हो। मैंने जानकारी करने की कोशिय तो उत्तर प्रदेश में मुझे एक दो उदाहरण भी ऐसे नहीं मिले, जिसमें कि बच्चों के ऊपर इस प्रकार के काम लेने वालों के खिलाफ मुकदमें चले हों, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई हो या सजा हुई हो। इस लिए मैं निवेदन कहंगा कि माननीय सदस्यों और जो कमेटी के सदस्य रहे हैं, उन सभी की भावनाओं का आदर करते हुए एक व्यापक विधेयक लाया जाय भीर उसका हम सब स्वागत करेंगे।

डा० घड प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, ग्रापका मैं हृदय से ग्राभारी हूं, जो धापने मुझको वाल-नियोजन संशोधन विधेयक, 1985 पर ग्रपने विचार को प्रकट करने का ग्रवसर दिया है। मैं इसका समर्थन करने को खड़ा हुआ हूं। यह एक ग्रत्यन्त महत्व-पूर्ण विधेयक है क्योंकि इसका संबंध मानव-तावाद के साथ संबद्ध है।

महोदया, माननीय सदन इस बात से सहमत होगा कि देश में करोड़ों की संख्या में बालक एवं बालिकाएं श्रमिक के रूप में ग्रपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह प्रमखता बंधग्रा श्रमिकों ग्रथवा श्रमिकों की संतान हैं। इनके माता-पिता को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है, वह धनराणि अत्याधिक न्यन होने के फलस्वरूप यह संभव नहीं होता है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा-दीक्षा प्रदान कराकर उनका भविष्य उज्जवल बना सकें । इतना ही नहीं वह अपनी सीमित आय से अपने वच्चों को भोजन, वस्त्र, यहां तक कि चिकित्सा की भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप उन्हें विवश होना पड़ता है कि अपने बच्चों को जीवित रखने के लिये उन्हें श्रमिक के रूप में यहां तक कि वंधग्रा श्रमिक के रूप में कार्य कराने के लिए विवश होना पड़ता है। वह अपने बच्चों को श्रमिक ग्रथवा बंधुग्रा श्रमिक बनाने में हार्दिक दुख, पीड़ा तथा वेदना रखता है। परना उन्हें भृक्षा तथा नंगा रखने से अधिक कष्ट होता है, जो स्वा-भाविक है। फलस्वरूप यह कुचक, यह दृष्चक मानवता के लिए ग्रभिशाप के रूप में चलता ही जा रहा है।

महोदया, इतना ही नहीं, जिन बालकों तथा वालिकाओं से प्रतिष्ठानों के स्वामियों के द्वारा कार्य लिया जाता है। वह उन्हें यदि नकद पारिश्रमिक देते हैं तो वह इतना न्यन होता है कि उससे भोजन भी नहीं हो सकता है। यदि भोजन दिया जाता है तो या तो पेट भर कर नहीं दिया जाता और यदि पेट भर कर भोजन दिया जाता है, तो वह भोजन दिया जाता है, जिसको अमीरों के कृते खाना अस्वीकार कर देते है। उनसे बारह घंटे से भी ग्रधिक कार्य लिया जाता है, गंदे वातावरण में कार्य लिया जाता है, आयु का ध्यान न रखकर कार्य लिया जाता है, भारी कार्य लिये जाते हैं । सब मिलाकर बाल-श्रमिकों की समस्या ज्ञन्य प्रमख राष्ट्रीय समस्याओं की भांति एक ग्रत्यंत गंभीर राष्ट्रीय समस्या है, जिसका निराकरण किसी भी सरकार के लिये एक चुनौती है। मुझको इस बात का संतोष है कि कांग्रेस के नेताओं पं० जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी का सदैव

ध्यान इस ग्रोर रहा है। कांग्रेस दल की सरकार द्वारा समय-समय पर विधान बनाए गए हैं। हमारे कुशल श्रम मंत्री जी ने यह विधेयक उसी गौरवमयी नीति के धनुरूप प्रस्तुत किया है जिसका मैं स्वागत करता है।

यह विधेयक वाल श्रमिकों के हितों की रक्षा के महान लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के हेत् प्रस्तुत किया गया है।

महोदया, माननीय सदन इस तथ्य से परिचित है कि प्रतिष्ठानों के स्वामी चिकित्सकों के द्वारा बालकों की आय कम दिखा कर उनमें कार्य लेते हैं। कभी-कभी बालकों को जीवित रखने माता-पिता को भी इस जघन्य कार्य में सहयोग करना पडता है। परन्त वास्तविकता तो वास्तविकता बनी रहती है और इस प्रकार वालकों का शोषण अनवरत रूप से चल रहा है। इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए कि 1938 में जब बाल नियोजन विधेयक बना तब से-लेबर मंत्रालय के द्वारा कितने प्रतिष्ठानों के स्वामियों को इस नियम के उल्लंघन के लिये दंडित किया गया ? कितने ग्रधि-कारियों को प्रतिष्ठानों के स्वामियों से मिल कर बालकों का शोषण कराने के आरोप में दंडित किया गया है । हमारी प्रमुख समस्या नीति के निर्घारण की न होकर नीति के निष्ठापर्वक कियान्वयन की है। इस पर अत्यन्त गंभीरतापुर्वक विस्तार किये जाने की झावश्यकता है।

श्रमिक संगठनों के नेताग्रों, जनप्रति-निधियों तथा समस्त दलों के नेताओं को एक साथ बैठकर इस पर राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार करना होगा।

जहां तक प्रस्तुत विधेयक का प्रश्न है, उसके संबंध में ग्रधिक न कह कर एक व्यवस्था की भ्रोर ध्यान भ्राकृष्ट करना चाहंगा । जहां पर दंड का विधान किया गया है, वहीं पर इस बात का भी प्रावधान किया गया है, जिसको मैं उद्धत करता हं—

"Provided that, the court for any adequate and special reasons, to

डा० रूद्र प्रताप सिंह

Employment of

be recorded in the judgment impose a sentence of imprisonment, for a term less than six months."

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस हेत् हुये दोषी व्यक्ति कभी दंहित नहीं होंगे । ग्रतएव माननीय मंत्री जी से मैं इस पर पनिवचार करने की प्रार्थना करूंगा ।

महोदया, बाल श्रमिकों को वयस्क श्रमिकों के बराबर वैतन दिया जाना चाहिये। उनको पौष्टिक भोजन, ऋत के ग्रनसार वस्त्र, उचित ग्रावास, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जाय। उनसं स्वस्थ वातावरण में कार्य लिया जाय तथा उनसे जीखिम के कार्य न लिये जायें। उनकी शिक्षा-दीक्षा तथा मनोरंजन की व्यवस्था की जाय जिससे कार्य करते हुये उनका विकास हो सके । उनका शोषण करने तथा कराने वालों को कठोर से कठोर दंड दिया जाय । बाल श्रमिकों के हितों की पुण रूप से रक्षा की जानी चाहिये। मझे ब्राशा है कि हमारे सुयोग्य विधि मंत्री जी निकट भविष्य में कोई विस्तृत विधेयक प्रस्तृत करेंगे जिससे बाल श्रमिकों के सर्वागीण हितों की रक्षा हो सकेगी । मैं व्यक्तिगत रूप से बाल श्रमिक मिनत विधेयक के लाये जाने के पक्ष में हुं। स्राणा है कि इस पर गंभीरता-पुर्वक विचार किया जायगा ।

मुझको प्रसन्नता है कि हमारे दल के नेता भारत के प्रधान मंत्री परम आदरणीय प्रधान मंत्र राजीय गांधी जी का ध्यान भारत की 21वीं शताब्दी में लेज ने की स्रोर है। उन्होंने भारत के सुदूर क्षेत्रों के अपने दौरों में श्रमिकों धौर उनके परिवारों की समस्याग्रों को बहुत निकट से देखा है । साथ ही साथ वें 21वीं शताब्दी में भारत को ले जाने की बात करते हैं जो इस बात का परिचायक है कि उन्हें बालकों की विशेष रूप से चिन्ता है क्योंकि ग्राज के बालक ही 21वीं सदी के भारत के भावी कणंधार होंगे।

अन्त में एक हिन्दी की रुवाई पढ़कर ग्रपनी बात को समाप्त करूंगा-

ग्रंधेरा छटेगा कदम तो हिमालय झुकेगा भूजा तो उठाग्रो । निराशा विसारो कमर कसके देखो, जमाना चलेगा बिगल तो वजाग्रो ।

मैं माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई देता हुं और आपके प्रति हैदय से कृतज्ञता प्रकट करता हुआ विधेयक का समर्थन करता

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh) : Madam, Vice-Chairman, the Employment of Children (Amendment) Bill which has been brought forward by the Labour Minister, to say the least, is an eye-wash. It is an attempt at tokenism. I would like to prove that what is being attempted in this Bill is an eye-wash, is a tokenism, is an ad hocism mainly because if we look at the problem of child labour in this country, if the Minister thinks that he would be able to solve the problem by imposing a fine of Rs. 500 or even upto the extent of six months imprisonment, I think, the whole country, is in a fool's paradise because, Madam, Vice-Chairman, there are as many as 44 million child labour in this country and if we have to add to this number 21 percent which comes to one-fifth of the 25 million bonded labour in this country, it will come to about 50 million children who are employed as per the statistics which has been given by Government of India and by the international agency and if you look at the size of the population, the size of the population, between 5 and 15 years is about 145 million in this country. That means, one-third of the population of that age group are today employed—a fact which cannot be denied. Therefore, having known a fact that as much as one-third of the population of that age group is employed today, if the Minister thinks that by bringing about a Bill like this, he is going to arrest the child labour, I think it is fooling nobody. So for this reason I will continue to say that this is an eye-wash. Secondly, there are different categories of industries where they have been workEmployment of

ing. It is not even a fact which can not be easily identified. What are the types of factories where they are employed ? In brick kilns, in beedi making factories, in match industry. in carpet industry, in handlooms and in glass bangles industry, it is the child ren, who are working in industries. 1 hese are the various agencies where children are working and therefore, it will not be so difficult for the Govern ment if it is very serious of hending those who are responsible for child employment. It is very easy but nonetheless, we would like to have a Bill like this to prove. And to add to the least, we have been very welfareminded people and we want to prove the lot of the people who are below the poverty line or who belong to the weaker sections and so forth. Beyond that, I do not think this serves any purpose. Therefore, instead of looking at these things piecemeal, from short term point of view only to impress upon the world that we are at the problem, if not this Minister, the Prime Minister and the Human Resources Development Minister assure me that there won't be any body, who will not go to school in the age group of 5 to 15 in the year 1990—after five years, then I will consider that it measure is a undertaken by this Government in order to get at the root of child la bour in this country. If they are in the schools, they are not in the streets. elsewhere. They are not working Therefore, the first guarantee has to be taken up by the Govern ment is to assure this House the country that they are really in terested in the welfare of the children that they want to root out child labour and to assure this House and the country that they will have cent per cent enrolment of the children in the schools in the age group of 5 to 15 which is nothing but a constitu tional obligation. As all us are aware. Article 45 of the Con : that all children stitutional says below the age of 14 shall have com pulsory universal education. There fore, the solution for the problem

lies in bringing about not a tinkering effort but a substantial effort in diverting the attention of the people who are now employed actually in these industries to the schools. Well, is it possible?

It is possible only if the Government makes a serious effort to lift that population whose parents are now below the poverty line. is, unless the country is lifted above the poverty line 100%, there is no possibility of guaranteeing that children between the ages of 5 and 15 are not employed.

Then, coming to the Bill itself, if the Government is very serious that there should not be child labour in this country there are about 103 million household out of which children of 34 million households are working which means these 34 million households are the ones who are in dire need co-maintain themselves, who have to send their children to factories and mines for employmentit is these people who should be helped to become self-sufficient. And who are the people who are employing these children? I think if there is a serious effort at finding out the people who are employing child labour and if the Government means to take action against them, then, in most of the cities a substantive population has to be in jails for periods which have been specified in the Bill, a substantive population has to pay fine, because 15 to 20 per cent of the households in this country are households which are employing child labour. Even if one head of a household is put behind the bars as per the Bill which is before us, then there will be so many people behind the bars. Therefore, is the Government serious in bringing a Bill like this that they think thay can arrest child labour in this I am not very sure country? about it. Therefore, I plead with the Labour Minister and the Labour Minister knows the problems of child labour, he knows the problems

[Prof. C. Lakslem man]

Employment of

of labourers. Very often he has claimed that he himself started as a worker for 6 angus per day. Obviously at the time when he had worked for 6 annas per d.s. he would not have been above 20 or, in any case he would have been surely a child. Therefore, he himself knows the problems of child labour. Therefore, he should plead with his Unvernment, his Human Resources Development Minister. his Prime Alinister, and say, "Look, what is the point in having a Bill of this nature with me ? I will not be dolor any service to child labour." And he smuld plead with his Government that they should make a substantive effort to bring about a change in the enrolment structure, in the wage structure, in the structure of the society itself. If that is done, I think, perhaps, the 21st century will become meaningful; otherwise, the 21st century will have people who are employed at a time when they should go to school, people who are starring when they should fill their stormachs, people who are sleeping under the six when they should have a roof over their heart when they are sleeping. I do not want such a 21st century to dawn in this country. Therefor, I plead with the Labour Minister to scrap this type of ad hoc scheme this type of token sticks, this type of an eye-wash Bill, and come with substantive measures. If he is really serious, he should raise the fine, he should raise the imprisonment. The punishment should really be a deterrent that people will shally be afraid of it. He should make sure that what is being brought as a legislation is a real, effective, means for social change, not for increasing the stock books of various reformative measures claimed to have been undertaken by this Government or by that Govern-

With these words I oppose this Bill on a substantive basis. Of course, even this is a step, perhaps, in that direction. In that sense I would not oppose it. But to me this piece of legislation will not make any difference and it is, therefore, that I oppose this Bill. Let there be no mistake about it, 'When I oppose this Bill, it does not mean that I want child labour to continue. I oppose this Bill because I feel this Bill des nor provide a solution to the problem. I appose this Bill and plead with the Labour Minister that he should bring forth another Bill which is more is more comprehensive, which deterrent an which really paves the way for a new type of society for which we are all wedded. It is in that sense that I oppose this Bill.

श्री पृथ्वी मक्सी (ग्रसम) : उपलमापति महोदया, मैं एम्पलायमेंट गाफ लेवर ग्रमेंडमेंट विल का नर्मथन कर रहा है।

पहले तो मैं श्रम मंदी अन्जैया जो को धन्यबाद देता हुं जिसन सदन में यह जिन पेश किया है। एम्पलायमंट आफ चाइल्ड लेवर 1938 ग्राउट डेटिड हो गया है। इस प्रश्न को ने कर पहले भी कई बार सदन में पालोचना को गई है । एम्पलायमेंट ग्राफ चाइल्ड लेबर त्तेत्रजन 4 में जो प्रोविजन दिया गया है वह तो ताम मात्र है। उसमें नेक्शन का उल्लंधन करने वाले को कुछ प्रभाव नहीं पडता था। श्रद सेक्शन 4 में जो संभीधन लाया गया है उससे मेरा विश्वास है कि कम उम्र वाले वःचों के नियोग में बाधा डाल सकते हैं। लैकिन श्रम मंत्री के साथ मैं भी यह कहुंगा कि चाइल्ड लेवर समस्या सिर्फ मंशोधन या विधि लाने से ही समाधान नहीं हो जाता है। इसके लिये सामाजिक वातावरण जरूरी है। मंत्री जो ने सेन्ट्रल एडवाइजरी वोर्ड ग्रान चाइल्ड लेवर मीटिंग में सभापतित्व करते हुये कहा था। उन्होंने सही कहा है सामाजिक, ग्राधिक व कुशल वातावरण का सूजन न होने से इस समस्या का हल कभी नहीं होगा ।

हमारे देश में बाल मजदूर नियोग करने वाले सिर्फ यही एक विधान नहीं है। हमारे संविधान के प्रार्टिकल 24 में 14 साल से कम उम्म वाले बच्चों को नियोग के प्रति बाघा आरोप की है

वाले पर सजा का प्रबंध है। लेकिन कितना कार्य हो पा रहा है।

फिर भी, टी प्लानटेशन ऐक्ट 1951, सेवणन 24 में यह कहा गया है कि "No child below 12 years shall be allowed to work in a p'antation."

संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्म वाले बच्चों को फैक्ट्री, माइन्स आदि में एम्लायमेंट नहीं दी जा सकती है। ऐसे ही फैक्टीज ऐक्ट 1948 सेक्शन 2 डेफिनिशन (सी) में चाइल्ड की देत कहा ह्य गया "A person who has not completed his 15 years of age." The Mines Act, 1952, Section 45. में दिया गया है 'No child shall be employed in any mine," महोदय, बनाइटेड नेजन की रिपोर्ट के अनुसार विक्व भर में 52 मिलियन चाइल्ड वर्कर हैं। हमारे देश में 17 मिलियन चाइल्ड वर्कर हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में सारे विभव के 1/3 ग्रंश चाइल्ड वर्कर्स विभिन्न पंतरीज, माइन्स, होटल ग्रादि में काम कर एहे हैं। मेरा अनुमान यह है कि इससे भा ज्यादा चाइल्ड वर्कर्स हमारे देश में होंगे । क्योंकि इंडस्टीज ग्राफ सोगल ग्रन्डरस्टेंडिंग के सर्वे के ग्रनुसार दिल्ली में हो 3 मीलियन बच्चे विभिन्न जगह में काम कर रहे हैं तो सारे देश में 17 मिलियन से भी अधिक ज्यादा बच्चे काम कर रहे होगे।

द्याज हम समाजवाद के रास्ते में चल रहे है और लाभखोर, उद्योगपति, व्यवसायी हमें उस रास्ते से ढकेल रहे हैं। वे ही तो बच्चों को अपने देश के बच्चे नहीं समझते हैं । वच्चों की हैसियत से मुनाफा निकालते है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। चाइल्ड वर्कर्स सिर्फ इस देश में ही नहीं विश्व के अनेक देशों में हैं। यह मैं मानता हूं। लेकिन हमारे देश में इतना ज्यादा है कि इससे ग्राधिक ग्रवस्था का पता चल जाता है। अब मैं अ।साम के बारे में कुछ कहना चाहता है, क्योंकि ग्रासाम के वारे में बहुत से विषयों से सदन ग्रवगत नहीं होता है। इस प्रदेश के बारे में न तो प्रदेश

से कोई जानकारी मिलती है और न ही लीडर लोगों से कोई जानकारी मिलती है। मैं ग्रासाम के चाय बगानों के वारे में कुछ कहना चाहता हूं। ग्रासाम में करीव 800 चाय बगान है। चार लाख से अधिक मजदूर उनमें काम करते हैं। वैसे सब मजदूरों की संख्या वहां पर प्रायः 50 लाख है। चाय कंपनी श्रीर चाय फैबर्ट्रा में प्राय: एक लाख से ज्यादा वाल मजदूर काम करते हैं। इसलिये मैं यह कहुंगा कि स्थाई मजदूरों की संख्या कम होती जा रही है। इसलिये वाल मजदूरों से काम कराया जाता है और यह काम मनाफे के लिये किया जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हैं। 1955-56 में चाय बगानों का एरिया 156750 हैक्टियर था और प्रोडक्शन 1677 लाख के० जी० था। स्थाई मजदूर थ 4.42,000 सन् 1975-76 में ग्रीर एरिया था 189,338 हैक्टियर, प्रोडक्शन 2763 लाख के० जी० ग्रौर स्थाई मजदूर हैं 431,748 । इससे मालूम होता है कि स्थाई मजदूरों को संख्या कैसे घटती जा रही है। फिर भी ग्राप शिक्षितों की संख्या को देखिये। इस मजदूर जनसंख्या के बीच करीब 500 ग्रेजुएट होंगे, मास्टर डिग्री होल्डर ग्रंगुलियों में गिने जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी निल कहे जा सकते हैं। 10-12 साल होते ही चाय वागान के कामों में लगाया जाता है। यह मुझे इसलिये मालूम है कि मैं भी उस परिवार से त्राया है जिसके माता पिता चाय **व**ागान के मजदूर हैं। मुझे याद है जब मैं स्कल में पढता था तब छुट्टी के दिन मुझे भी मेरी मां के साथ कभी कभी जाना पड़ता था। अगर बच्चों को इस तरह के कामों में लगाया जायेगा तो एजुकेशन कहां से होगी?व एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकेंगे। इसलिये मैं इस विषय पर मंत्री जी का घ्यान ग्राकॅपित करना चाहता हं ताकि वे मजदूर बच्चों की शिक्षा पर जोर दे सकें। मैं तो यह कहुंगा कि अगर आसाम के चाय मजदूरों के प्रति, उनकी शिक्षा, अर्थ व्यवस्था, इम्पलायमेन्ट **ग्रादि विषय की ग्रोर घ्यान नहीं दिया** गया तो एक दिन ग्रासाम के चाय मजदूरों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या हो जायेगी।

[श्री पृथ्वी माझी]

चाइल्ड वर्कर रिस्ट्रिक्शन के लिए हमारे संविधान और अन्य एक्ट्स में प्रावधान हैं, लेकिन उनको लागू कितना किया जा रहा है ? यह एक आलोचना का विषय है। इसलिए मैं इस विषय पर जोर देने के लिए सलाह देता हूं। हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने करणान के विरुद्ध लड़ने के लिए जो जोर दिया है उसे ध्यान में रखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि इस इस्प्लोयभेंट आफ चाइल्ड लेबर एमेन्ड-मेंट बिल से विधान का उल्लंबन करने वालों को उचित सजा दे सकते हैं। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री सैयद ग्रहमद हाशमी (उत्तर प्रदेश) : मैंडम वाइस-चेयरमैन, पहल तो मैं अपने उन दोस्तों के ख्वाल में ग्रपने व्य को शामिल करना चाहता है जिन्होंने इस जरूरत की तरफ तवज्जह दिलाई है कि इतने से एमेंडमेंट या सजा में इजाफो से या जमिन में इजाफो से यह मसला हल नहीं हो सकता है। इसके लिए एक कम्प्रीहेंसिव विल लाने की जरूरत है और उनको लाना चाहिए। इसके साथ हो मैं यह भी कहना चाहंगा कि ग्राज का बच्चा मजदूरी के सिल्सिले में भ्रपने जख्मी जजबात का इजहार कर रहे हैं। ग्राज हमारे भल्क के ग्रन्दर क्या वातावरण है, क्या सिच्एशन है जिसके अन्दर बच्चा मजदूर एक्सप्ली-यटेशन का शिकार हो रहा है ग्रीर इसी तरीके से दूसरे ग्रत्याचारों का शिकार हो रहा है। एक बड़े ग्रादमी की जो काम की धौकात है वह 6 घंटे या 8 घंटे है, लेकिन छोटे बच्चों की 12-12 घंटे और 16-16 घंटे कान करना पड़ता है। मेरे पास इस बारे में होटलों के फीगर्स हैं। उनसे अन्दाजा हो जाएगा कि किस तरीके से बच्चों पर ग्रत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। किसी जमाने में गलामों का तस्सवर हम किया करते थे लेकिन आज सिवि-लाइज्ड दौर के अन्दर उस वक्त जब कि हम 21वीं सदी में जाने का नारा

लगा रहे हैं. तालीम का नया चेनल कबल करने के लिए हम ग्रपने को र्तियार कर रहे हैं उस जमान के अन्दर ग्राज हम खद यह ग्रहसास कर रहे हैं कि किस तराके का एक्सप्लायटेशन जारी है। लेकिन में यह कहना चाहुंगा, यह पूछना चाहंगा जिस वक्त वच्चा मजदूरों के एक्सप्लायटेशन के बारे में हम गौर कर रहे हैं क्या बाकई हम सिसेयरिटी के साथ, क्या बाकई संजीदगी के साथ हम इस प्रोब्लम को हल करना चाहते है, क्या हम यह पूछ सकते हैं कि एक बच्चा पढ़ने की बात तो आगे की रही, कहते हैं कि खेलने खाने के दिन है उस पोरियड के जमाने में वह कम्पलशन क्या है, मजबूरी क्या है जिसकी विनाह, पर बच्चा ग्रपने गांव से बच्चा ग्रपने कस्बे से, ग्रपने शहर से निकलने के लिए मजबूर होता है ग्रौर इस तरीके का काम भी करने के लिए मजबूर होता है ग्राम तरीके से जिसे पसंदीदा नहीं कहा जा सकता है। जाहिर है कि कोई बच्चा खणी से नहीं निकलता है। मां बाप खर्मा से अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं भेजते हैं। वह मजबरी यह है कि वह गरीबी जिसकी रेखा को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं वह रेखा ग्रार चौड़ी होती चली जा रही है और गरीबी की रेखा आज भी हम मिटाने की सब कोशिशें ग्रौर नारों कं बाद भी मिटा नहीं सके हैं। उसका ग्रन्दाजा नयी दिल्ली को देखने से नहीं होगा। स्राप जाइए उत्तर प्रदेश के गांवों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के भ्रन्दर, बिहार के भन्दर, श्रासाम के ग्रन्दर, बंगाल के ग्रन्दर, मध्य प्रदेश के ग्रन्दर, ग्राप जा कर के देखिए जहां पर घरों में दीया जलाने के लिए तेल नहीं है, घरों में रोशनी की सलाइयत नहीं है, दो वक्त की रोटी इस वेलफेयर स्टेट के ग्रन्दर वह नहीं खा सकते हैं। जाहिर है कि वह मजबूर हैं अपने बच्चों को मजदरी पर लगाने के लिए। जाहिर है कि इस मजबूरी के अन्दर जो कुछ मुमकिन हो सकता है वह होता है। मैं ग्रापको बतलाऊ एक सर्वे के मताबिक सिर्फ बम्बई में, एक शहर की बात में कह रहा है, सिर्फ बम्बई में 50 हजार

बच्चे रोजाना भ्राठ से दस घंटे काम करते हैं। एक इंडस्ट्री के ग्रन्दर, दूसरी इन्डस्ट्री की बात मैं नहीं कह रहा हूं, होटलों के अन्दर, फाइव स्टार होटलों की बात में नहीं करता हूं, छोटे-छोटे होटलों के अन्दर, ढाबों के अन्दर आज मुहल्लों के ग्रन्दर, इलाकों के ग्रन्दर, एक सर्वे के मुताबिक 11750 होटलों ग्रौर रेस्टो-रेंट्स में 30 लाख लोग काम करते हैं ग्रीर उसके ग्रन्दर 50,000 बच्चे हैं। यह दो टोमों ने सर्वे किया है, स्राल इंडिया गिल्ड श्राफ ला ग्रेज्यट्स, बम्बई लेबर यनियन के साथ उसके साथ यु० एन० ग्राई० का एक कोरेसपींडेंट था। उसका बयान है कि केंटीन में काम करने वाले 12 साला लडके ने बताया कि उसका मालिक रोजाना स्रोवर-टाइम करने पर मजबूर करता है। मसला सिफं इतना ही नहीं है वह 10-12 घंटे गैड्युल के मुताबिक काम लेता है ग्रीर वह मजबूर करता है कि ब्रोबर टाइम भी करो, पैसा भी कम देता है या नहीं देता है। मैंने खद दिल्ली में देखा है, वाल्ड सिटी के ग्रन्दर में रहता रहा हूं और वहां पर मैंने देखा उस इलाके के अन्दर होटल हैं जिनमें बच्चे काम कर रहे हैं, 12-1 बजे तक, दो बजे तक काम किया और जा कर के कहीं फुटपाथ पर सो गए और होटल का मालिक जा कर के उस को मार कर उठा कर लाता है उसको सजा देता है। मैं फिगर्स दे कर के भ्रापका वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं लेकिन बात ग्रपनी जगह पर यह है कि कुल पांच सौ रुपए जर्भाना या 6 महीने को सजा उसको चाहे ग्राप कितना ही एक्सटेंड कर दें आज हमारे दोस्तों ने कहा कि सन् 1938 का यह कानन है वह भी कानन था और आज हम उसमें ग्रमेंडमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन मैं यह कह रहा था कि श्राज तक एक ने भी सजा नहीं पाई ग्रौर हम उम्मीद नहीं करते हैं। आप कानन बनाते जाइए, उस कानून के बनाने का कोई नतीजा कोई रिजल्ट नहीं है इसलिए

कि आप माहोल और फिजा नहीं बनाएंग सिर्फ कानुन बनाते जायेंगे । मैं तो देखता हं कि कानुन किसी के प्रोटेक्शन के लिए बनता है लेकिन वह कर^एशन का जरिया बन जाता है इसलिए कि किसी को पकड़ेंगे तो वह पुलिस वाले को खिलाएगा छट जाएगा, किसी का एक्स-प्लायटेशन है, किसी का करप्शन और किसी के लिए ग्रामदनी का जरिया है। मेरे कहने का मतलब है कि इस मसले को सिरियसली लीजिए । यह बन्नाइए कि चाइल्ड बेल्फेयर के ग्रंदर ग्रापने कोई ग्रार्गेनाइजेशनल या इंस्टीटयशनल सेट ग्रप किया है जिससे मल्क के ग्रन्दर ग्राप एक ऐसा वातावरण बनायें, माहोल बनाएं कि जिसके ग्रंदर बच्चों के साथ एक्सप्लायटेशन हो रहा है वह न हो, ऐसा जहन पैदा करें। वह जहन नहीं पैदा कर रहे हैं और आप सिर्फ काननी पाबंदी लगा रहे हैं। इससे नहीं होगा। ब्राप मसायल पर मसायल पैदा कर रहे हैं। (समय की घंटी) एक मिनट। मैं मिसाल दं, माफ करेंगे हमारे दोस्त कि यहां जो गरीबी है ग्रीर उस गरीबी के नीचे जो कम्पलशन है जो दबाव हैं उनके अन्दर एक बच्चा काम करने पर मजबर है। बच्चे की वह उम्र जो तालीम और खेलने खाने के दिनों की है और तालीम का, इम्पलीकेशन चैलेंज जो आपने कवल किया है लेकिन फिर भी उस जमाने के ग्रन्दर वह काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। ग्रापने कहा कि वेसिक एजुकेशन स्टेट की जिम्मेदारी है, आगे हायर एजकेशन की बात को छोड़ दीजिए। ग्राजादी के 35-36 सालों के बाद भी मैं कहता हं कि वह बेसिक एज्केशन भी क्या ग्राप बच्चों को दे सके हैं ? क्या आपके पास इतने इंस्टी-टयुशन्स है? ग्राज दाखिलों के ग्रन्दर परेशानी है, ग्राप बच्चों को दाखिला नहीं दे सकते हैं। उन बच्चों की वात छोड़ दीजिए जो पढ़ नहीं सकते आ नहीं सकते मुकाबले के अन्दर उनकी वात छोड़ दीजिए लेकिन जो बच्चे मैदान के अन्दर हैं उनको भी आप दाखिला नहीं दे सकते हैं यह सिच्येशन है, **इसके बाद क्या है।** मुल्क के अन्दर मैं कहता हं कि ग्राज दर्द है इस बारे

[श्रो सैयद ग्रहमद हाशमी] में । श्राज इस मसले के अन्दर श्रापका ग्रहसास जख्मी है कि हमें बच्चा मजदूरी का एक्सप्लायदेशन खत्म करना है। उन बच्चों के बारे में मैं पूछना चाहता हं क्या ग्रभी ग्रापने सोचा जो कम्युनल रायट्स के अन्दर फसादात के अन्दर अपने मां-बाप के मारे जाने के कारण निपट ग्रकेले रह जाते हैं ग्रपनी जिन्दगी का बोझ संभालने के लिए या फेमिली के भाई-वहनों का भी बोझ संभालने के लिए। कभी आपने उनके वेल्फेयर पर सोचा है। इसीलिए मैंने ग्रर्ज किया कि यह नारे की हद तक या एडहाकिज्म या टोकन है जैसा कि हमारे प्रोफेसर भाई ने कहा। इस टोकन या एडहाकिज्म से कुछ वनने का नहीं है। ग्रगर ग्राप इस मसले के ग्रन्दर सीरियल हैं सिंसियरटी के साथ इस प्रान्तम को हल करना चाहते हैं तो बेसिक इविल जो है, बुनियादी बीमारी जो है, वह बुनियादी बीमारी जिसके अन्दर हालात का कम्प्लजन न हो, उस कम्प्लजन के अन्दर वचना एक्सप्लायदेशन का ट्ल बनने के लिए निशाना बनन के लिए मजबर न हो, उसको दर करें। मेरा निवेदन और मेरी गुजारिश यही है। ग्रभी पिछले दिनों लोक सभा के अन्दर जब बिल आया तो आपने कहा कि 42 करोड़ की स्कीम दना दी है। कर्नाटक के यन्दर एक माडल विल बनाया है हम उस विल के मुताबिक सोच रहे हैं। श्रापने, जो वेल्फंयर है उसमें 15 लाख रुपए दिए हैं। इन 15 लाख रुपयों की क्या हैसियन है। जो फिगर्स आपके सानने आए हैं उनके सामने 15 लाख रुपए हम कहते हैं कि बाटे में नमक के बराबर भी तो नहीं हैं तो जाहिर है इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक कन्सनं जाहिर करना चाहते हैं एक इजहारे उक्बीम जिसको कहते हैं कि हां यह सिच्एशन है हम रियलाइज करते हैं, तसलीम करते हैं। लेकिन तसलीम करने के बाद उस बीमारी के दूर करने के अन्दर सिंसियर नहीं हैं। इसलिए में अनरेबल मिनिस्टर

Employment of

साहब से कहंगा और इसलिए यह बात मैंने इतने दुख से कही है चुंकि ग्रान-रेबल मिनिस्टर श्रंजैया साहब ईमानदार ग्रादमी हैं ग्रीर हालात को उन्होंने देखा है उससे मुशाहिदा हैं और इसलिए हम जानते हैं कि इन बातों को जो मैंने कहीं हैं, वे रियलाइज करेंगे ग्रौर . . . । जितना वह कर सकते हैं, वह करने की कोशिश करेंगे ग्रौर इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी के बनाने में वह पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे ताकि वाकई जो हमारा सिर शर्म से झक जाता है जब हम बच्चों को देखते हैं कि वह पत्थर तोड़ रहा है---ग्रभी ग्राप ग्रजमेरी गेट चले जाइए, श्रापके जवानों की वात नहीं, ग्राज तो दस-दस, बारह-बारह साल के बच्चे जो बिहार, उत्तर प्रदेश से ग्राए हुए हैं, वह रिक्शा चला रहे हैं । उन्हें देख कर सिर शर्म से झक जाता है कि यह उन्न इनके लिए मदरसे, पाठगाला जाने की थी।

बहरहाल मैं इस गुजारिश के स्तथ समाप्त करता हूं कि इस पर पूरी त्वज्जह की जाएगी।

†[شبی سهد احدد هاشنی (الار

پردیش): میدم وائس چیدرسین پہلے و میں ایے ان دوستوں کے
خیال میں ایے ویو کو شامل کوئا
جاھتا تیوں جنہوں نے اس مرورت
کی طاف توجه دائی ہے کہ اتلے سے
استدمست یا سوا میں اضافہ سے یا
جرمائہ میں اضافہ سے یہ مسئلہ
حل نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے
دلیے کمیری ہینشیو بل لانے کی
ضرورت داور اس کو لانا چاہئے۔اس

^{†[]}Transliteration in Arabic Script.

کے سانھ میں یہ بھی کہنا چاھوں کا کہ آبے ہم بچہ مؤدوری کے سلسلے مهن زخمی جذبات کا اظهار کر رہے ھیں - آج همارے ملک کے اندر نَها واتأورن م - كيا سجوايش ه جس کے اندر مزدور ایکسهاڈیڈیشن کا شکار هو رها هے اور اسی طریقه سے درسرے مظالم کا شکار هو رها هے۔ ایک بوے آدمی کی جو کام کی اوقات هِي وه ٢ گهلٽه يا ٨ گهلٽه هِي لیکن چهوتے بچوں کو ۱۲ ۲۱ ئهنته اور سوله سوله گهفته کام کرنا پوتا هے -میرے پاس اس بارے میں ہواتنوں کے فيكبس هين - إن سے أندازة هو جائيكا کہ کس طریقہ سے بچیں پر اتیا چار هو رحي هين - ظلم هو رهي عين -

كشي زمانه مهن فلامون لا تصور هم ذيباً كبتے تهے ليكن أج سويالكرة ھور کے اندر اس وقت جب کہ ھم ٢١ وين مدى دين جانے 🤞 تعود لكا رهے غیں تعلیم کا نیا چیلل نہول کرنے کے نگے ہم آنے کو تھار کر رہے ھیں اس زمانہ کے اندر آبے ھر کد يه الحساس ، در رهے هين که دس طريقه كا (مداخلت)... مين يه پوچهنا چاهو ۽ جس وقت اچه مزدوری کے ایکسپلائیٹیشن کے بارے سين هم غور كر رفع هين كيا واتعي هم سلسیوڈی کے ساتھ - کیا واقعی سنجهدای کے ساتھ هم اس برابلم کو حل کرنا چاهته هیں۔ کیا هم یه

پوچھ سکتے ھیں که ایک بچہ پڑھنے کی بات تو آئے می رھی کہتے ھیں کہ کہیلئے کہانے کے دن میں اس چھویق کے زمانہ میں وا کمپلشن ایا هے - منجہوری کیا ہے جس کی بنا پر بچه ایے آپ گاؤں سے بچه ایے قصبه سے اسے شہر سے اکالیے کے المے مجهور هاتا ه - اور اس طربقه كا كام يهى كرنے كے لئے منجبور هوتا هے عام طریقه سے جسے پسندید؛ نہیں كها جا سكتا ہے - ظاهر ہے كه كوئي بجه خرشی سے نہیں نکلتا ہے۔ ماں باپ خوشی سے ابھے بحجہ کو گھر سے باهر نهیں ببینجتے هاں - ولا مجبوری هم هے که ولا افتریبی جنس کی ریکها کو هم کم کرنے کی کوشف کر رہے۔ هیں ا ولا ویکها اور چوزی شدتی چلی عام رهای ھے۔ اور غایدی کی ریکیا آج بھ_ی ھم مقانے کی سب کوششیں اور تعرے کے بعد بھی مثا ہوں سکے بنیو - انکا اندازہ نگ_ر دھائی کہ دیکوئے سے نہیں ھوگا آپ جايئے اثر پرديش کے لاؤں میں - اتر بردبھی نے پرربی علقہ کے اندر - پہار کے اندر آب ہے **بنٹال** ہے آندر- مدسته بردیش کے اندر - ب جا در ديكوگے جهال **پ**و گھروں میں دیا علانے کے لگے عیل نهه، ہے - گہروں میں روشقی کی صلاحیت نهین هیا- دو وقت کی روقی وہ اس ویلفیر اعتماق کے اندر نہیں کیا سکتے ہیں۔ ظامر ہے کہ ولا مجبور هیں آپے بچوں کو مزدوری

[شرى ميد احدد هادمي] پر المانے کے لئے۔ ظاهر هے که اس معجدوری کے اندر جو کنچه سمکن هو سکتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتلاوں ایک سروے کے مطابق صرف بمبئی میں ایک شہر کی بات میں کهه رها هیں صرف بمیثی میں ۵۰ هزار بھے روزانہ آئے سے دس کھنٹھ کام کرتے هیں۔ ایک اندَستری د اندر دوسری اندستری کی بات میں نہیں کررھا ھوں ھوٹلوں کے اندر فائیب اسٹار هوتلوں کی بات میں نہیں کہتا ھوں - جهوقے جهوقے ھوٹلوں کے اندر قعابوں کے اندر - آج معاوں کے اندر علاقوں کے اندر ایک سروے کے مطابق ۱۱ هزار ۲۰۰ هوالون ارد ريستورينتس میں ۳۰ لاکھ لوگ کام کوتے ھیں اور اسكے اندر ٥٠ هزار بحے هيں۔ يه دو تیموں نے سروے کیا مے آل انذیا كلة آف و گريجويةس بمبدئي لهيو یوندن کے ساتھ اسکے ساتھ ہو- این -آئے - کا ایک کورس پونڈنٹ تھا اس كا بيان ه كه كينتين مين كام كرنے والے ۱۲ سالہ لوکے نے بتایا که اسکا مالک روزانه ارور آیام کرنے پر مجبور كرتا هے - ساله صرف اتنا هي نهين ھے وہ دس بارہ کہنٹه شدول کے مطاق كم لهتا هے اور ولا مجبور كرتا هے كه اوور ٹائم بری کرو پیسه بھی کم دیتا ھے یا نہیں دیتا ہے۔ میں نے خد دلی میں دیکھا ہے والد ساتوں نے اندو میں رهتا رها هوں اور وهاں پر سیں

نے دیکھا اس علاقہ کے اندر ہوٹل ھوں جن میں بحجے کام کو رہے ھیں - بارہ ایک بھے تک دو بھے تک کام کھا اور جاکر کے رهیں فث پاتھ پر سو كئے اور هوائل كا مالك جا كر اسكو مار کر الیا لاتا ہے اور اسکو سزا دیتا ھے میں فیگرز دیکر کے آپکا وقت زایہ نهیں کرنا چاهتا هوں لیکن بات اپنی جگهه پر یه هے که کل پانچ سو روپیه جومانه يا چه مهيله کي سؤا اسکو چاهے آپ کتا هي اکستيند کر دير بعض همارے دوستوں نے کہا که ۱۹۳۷ کا یہ قانون ہے وہ بھی قانون تھا اور آج هم اسيس املدميلت كرنے جا رهے هيں - ليكن سين يه كہرها تها کہ آجتک ایک نے بھی سزا نہیں پائی اور هم اميد نهيس كرتے هيں - اپ قانوں بناتے جاہئے اس قانوں کے بنانے کا کوئی وجه کوئی وزلت نہیں ہے الملئے کہ آپ ماحول اور فضا نہوں بنائينكے صرف قانون بناتے جائينكے -میں تو دیکھتا ہوں که قانوں کسی کے پروٹکشن کیلئے بنتا ہے لیکن وہ كريشن كا دريعه بن جاتها هـ - اسلك کہ کسی کو پکویں گے تو وہ پولس والے کو کھائے کا اور چھوت جائے گا۔ کسی کا ایکسپلائٹیشن ہے۔ کسی کا کرپشن اور کسی کے لئے آمدنی کا فریعه هے - میرے کونے کا مطلب فے كه اس مسئله كو سنسهرلي ليجنُّ -یہ بتلایئے که چائلت ویامه کے اندر آنے کوئی آرگذائزیشن با انسٹی ٹھوشلل سیت اپ کیا ہے جس سے ملک کے

ماحول بقائين که جس کے اندر بچوں كے ساته ايكسوالنتيشن هو رها هے وہ نه هو ایسهٔ ذهن پیدا کرین - وه ذهن نہیں پیدا کر رہے هیں آپ صرف تانونی پایندی لکا رہے ھیں۔ اس سے نہیں، هوا - آپ مسائل پو مسائل پيدا کر رہے ھیں . . . (وقت کی گھلٹی) ایک ملت - میں مثال دوں -معاف کوینکے ہمارے دوست که يهاں جو غريدي هے اور اس غريدي کے نیجے جو کمپلشن ہے جو دہاؤ ھیں ان کے اندر ایک بچہ کام کونے پر مجبور ھے - بھے کی وا عمر جو تعلیم اور کھیائے کھانے کی ہے اور تعلیم کا امهای کهدن چهللج جو آپ نے تعول کیہا ہے لیکن پہر بئی اس زمانے کے الدر ولا كام كرنے پر سجهور هو رہے هوں -آپ نے کہا که بیسک ایجوایشن استهمت كي ذمه داري هي - آئم ماير، اینجوکیشن کی بات کو چهور دینچگیه --آزادی کے ۳۹-۳۹ سالوں کے بعد بھی۔ مين کهتا هون که ولا بيسک اینجوکیشن یهی کها آپ بچوں کو دے سکے هیں - کیا آپ کے پاس اتلے انسٹیٹیوشنس میں۔ آج داخلوں کے اندر پویشانیاں هیں - آپ بچوں کو داخله نہیں دے سکتے هیں۔ ان بچوں کی بات چهور ديعوني جو پوهه نههن سکتے -آ نہیں سکتے مقابلے کے اندر انکی بات چيوز ديجئه ليکن جو بچے میدان کے اندر هیں انکو بھی آپ داخانا

نہیں دے سکتے هیں یہ سچوایشن ھے۔ اسکے بعد کیا ھے ملک کے اندر مهن کهتا هون که آج درد هے اس ہارے میں - آج اس مسئله کے اندر آیک احساس زخمی فی که همیں بچه مزدوري کا ایکسپاللی ٹیشن خاتم کرنا ھے - ان بھوں کے بارے میں میں پوچھنا جامعا هوں دیا ابنی آپ نے سوچا جو کمیونل رائتس نے اندر فسادات کے اندر اپے ماں باپ کے مارے جانے کے کارن نہت اکیلے رہے ہیں اپنی زندگی کا بوجه سلیهالنے کیلئے یا فیملی کے بوائی بہنوں کا بھی ہوجہ سنههالنے کیلئے - کبھی آپنے ایکے ویلفور پر سوچا ھے - اسلئے میں نے عرض کیا که یه نعری کی حد تک یا ایدهاکزم یا توکن هیں جیسا که ھمارے پروفیسر بہائی نے کہا -اس ڈوکن یا ایڈھاکزم ہے۔کنچھ بلنے کا نہیں ہے۔ اگر آپ اس مسلماء کے اندر سیریس میں - سنسیرٹی کے ساتھ اس پراہام کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیسک ایول جو هے - بنیادی بیماری جو ہے وہ بنیادی بیماری جس کے اندر حالات کا کمپلزن ته هو اس کمپلزن کے اندر بچه ایکسپائی تیشن کا ڈول بننے کیلئے نشانه بللي كيائي شجهور نه هو المكو دور کریں ۔ میرا نویدن اور میری گزارش يهى هے - ايهى پچهلے دنوں نوک سبہا کے اندر جو اہل آیا۔ تو آپ نے کہا کہ ۴۲ کبور کی اسکیم

[شری سید احمد هاشمی] بابا می هے - کرناٹک کے اندر ایک مادل بل بنایا ہے اس بل کے مطابق هم سوچ رہے هيں - آپ لے جو ريلنير هے اسمين ١٥ لاکو روپيه دیگے هیں ان ۱۵ لاکھتا روپھوں کی كيا حيثيت في - جو ليكرس أيكي سأمنى أأن هون الكي سأملي 10 الكود روبیه هم کیتے هیں که آتے سیں نیک <u>کے برابر ہیں</u> نہیں میں اتو فاهر في الـ و مطلب به بي كه صوف ایک کلسرن هاغر کرنا جاهای هین ایک اظهار قدریف جسکو کهتم هیر تمريال يه سجورايشن هي هم بياثو كري على - تسليم دائي هيي م اليكن تسلیم کرنے کے بعد اس بیداری کے فرز کرے نے انتو حنسیر نبھی عہوں۔ الس الله مهرن الويهل ملستو ماجب سے کیوں 🕏 اور اِس لگے میں تے یہ بات انتے داہ ہے کہی ہے کھرنکہ أنوسل منبثر أأجها عاجب إيهادا أبالي عين اور خالت كو أنبون نے دیکرا ہے اس نے مشاعدہ بیں کیا ہے ان س لئے عم جانئے کابی که ان بائیں کو جو مذن نے کہی ہیں وہ ريائن كرير تي أو جالما وه كو مكتبي عین وہ ترانے کی کرشش قویں لے اور اس طسالے میں هماری گوراندنی آب اندیا کی پالیسے نے بنانے سیں وہ پورا سہورک دیں کے - مدد کریں گے تاکہ راقعی همارا سر جو شرم سے جھک جاتا نے جب هم بحون او ديكيتے

عین ک را بتهر ترز رها ه ابهی آپ اجمهري ايت جل جايئے - آپ کے جوانوں کی بات نہیں - آب تو دس دس بارہ بارہ سال کے بحجے جر بہار اتر پردیش ہے آنے مولے میں وہ رکشا چا رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کو سو شرم سے جوک جاتا ہے کہ یہ عمر تو الكر الى مدري - بالو شاله جالے کی اتھی ۔

بہر حال میں اس اوارشات کے سائه سمایت کرتا هون که اس پر ہوری توجہ نی جائے کے -]

SHRI DINKARRAO GOVIND-RAO PATIL (Maharashtra) : Madam Vice-Chairman I rise to welcome and support the Employment of Children (Amendment) Bill on the auspicious Boat Din and on the Birth anniversary month of Jawaharial Nehru who loved children, especially the poor children who call him Nehru Chacha,

But here, Madam, I must say with great regret that a major ourse afflicting Indian society s the widespread prevalence of child labour. Unlike child marriages, though child labour is not a unique feature of Indian economy it has a dubious distinction of having the largest child labour force in the world. According to a world Bank Report, a third of Asia's share of forty million wasking children, out of world total of 55 million belongs to India. The number of working children is variously estimated at between 16-5 million and 17.5 million, with an additional four million in the hidden sector. This means that the number of child workers has nearly doubled since 1971 census. Weavers, mec-

246

245 Employment of

hanics and domestic servants are the principal child professions. There are freelance occupations like selling cigarettes and vegetables, polishing shoes and hawking newspapers. Thousands of children between the age group of four and fifteen today languish in the carpet weaving factories of Kashmir, lead mines of Madhya Pradesh, printing presses and matchbox units in Tamil Nadu, handloom centres, garages and restaurants of Maharashtra and tea and coffee plantations in the south and North-East of the country.

Not only are these child workers made to labour ten to twelve hours in a day in the most unhygienic and hazardous conditions, but also they are invariably underpaid. They are seldom entitled to any benefits under the Factory Acts, Under-nourishment and lack of education stunts their mental growth. According to a recent report prepared by the International committee of Jurists, out of the one lakli children 45,000 employed in match factories of Ramanathapuram district were below 15 years of age. This is the tragedy of the children that they have to leave home between g and 5 A.M. and return between 6 and 9 in the night. The children here are employed on piece work basis. According to a journalist Sadanand Menon, who visited the 'Little Japan of India' in 1979, out of the total children employed almost a fifth are between two and five years old.

Investigation by a U.N.I. correspendent shaved that some of the new recruits were barely of kindergarten ag. A cyulcal observer remarked that what was going on was 'cradle snatching of a sort' Article 24 of the Constitution states Madam, that no children below the age of fourteen years shall be employed to work in a factory or a mine or migaged in any other hazardous occupation. Besides this, there are 19 Central and State legislations on the subject,

Now, the hon. Minister has brought forward this amendment for prosecuting and penalising the employers. But what we find is that they escape from the clutches of the law and the labour department becomes helpless and inactive. Madam. I will give one example. The Harbans Singh Committee appointed by the Tamil Nadu Government while the country was under Emergency and the State was under President's Rule, found that employers who are caught usually get away with a fine of only Rs. 10. An employer prosecuted by the Tamil Nadu labour department and convicted on fifteen counts was given an aggregate fine of only Rs. 210, How can be the Government expect to deal with this problem in this way? The law is not properly enforced. Most of the children are engaged in carrying molten glass from the furnaces. The exposure to the extreme heat is almost unbearable in the summer months. Similarly, Madam, a survey conducted by the Indian Council. of Child Welfare in Muschidabad, in West Bengal, found that nine per cent of the children between the ages of ten and fourteen showed symptoms of chronic bronchitis, ten percent were anaemic. There was also reason to suspect a high incidence of tuberculosis, brought on by working long hours at a tender age in over crowded rooms in postures which prevented healthy development of the lungs. Low wages, long hours of work and strict discipline invariably formed the chief attractions for employing children.

Madam, I have seen the worst condition of the children working in the hotel industry in Bombay, as I come from Mahatshira. They have to work in the hotels for at least eleven and a half hours daily, I would like to know from the hon. Minister whether he is going to stop such cruelties on children or not. Another pilot study conducted in Madras, Madurai and Coimbeore

[Shri Dinkarrao Govindiao Patil] revealed that 31-6 per cent of the children work for ten to eleven hours; 20-4 per cent for twelve to thirteen hours; 11 • 6 per cent for fourteen to sixteen hours and 4-8 per cent had no fixed hours of work at all. Madam, I would humbly suggest to the hon. Minister that the Government of India should become the guardian of such shelterless poor children at least to check the injustices done to them. These children are the victims of the poverty of their parents and the victims of the cruelty of their masters-Because these children are not organised on the lines of trade unions, they have to submit silently to the excesses indulged in by their masters. A-child worker is at best a lonely worker who cannot afford a showdown with his employer. The root-cause is, child labour is linked with the monstrous question of grinding poverty, specially in the rural areas. The problem can be traced to exploitative and socially unjust system. Hence, I would request the hon. Minister that the proper solution is a radical and frontal attack on poverty under which the children are crushed; this is the sordid tale of Indian children. Hon. Minister 4.00 P.M. should special government machinery and take drastic steps while enforcing the law against the cruel employers and in favour of the poor children.

Lastly I would like to make one suggestion. (Time Bell rings) Madam, just one suggestion. I am not objecting to employing the children but the work should be given to them in the form of training schools. Human Resources Department should take up this job and see that the children who are working are also learning something so that they can earn their livelihood on their own in future.

With these words I support this amending Bill.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Madam Vice-Chairman, it is most unfortunate that in our country two-fifth of the child population is employed and exploited almost throughout the length and breadth of the country. Instead of sending them to the schools, at a tender age they are sent to the factories, plantations where the blood sucking parasites, employers, are readily awaiting to exploit them. It is the tender age between five and fourteen when the mind will be free from malice, free from passions, free from evils of the society. That is why Wordworth in his poem Dde to Immortality described child as the father of the m .in. But, Madam, according to the report of the ILO children in India arc employed in most inhuman conditions in many parts of the country. Wherever you, go, you will see the same thing. If you go and see the match factories, and fireworks and hosiery industries in Tamil Nadu the children have to get up before 30'clock in the morning, they reach the factories before dawn and reach their homes after dusk. How much are they paid? They are paid one rupee, one rupee fifty paise or at the most two rupees. At this tender age these children have to shoulder the burden of their parents. The indebted parents mortage their children to earn bread for the family. This is a very sorry state of affairs.

Madam, children are employed in diamond cutting industry in Gujarat and Maharashtra, in match and hosiery industries in Tamil Nadu, in silk and fan industries in U.P., Bangle industry in Ferozabad, *Bid:*, industry in Tamil Nadu, M. P. and West Bengal and cashew factories in Kerala and southern part of Tamil Nadu and powerlooms in Bhivandi, Maharashtra. Madam, Vice-Chairman, what is happening in these powerlooms in Bhiwandi, Maharashtra? Some of the reports are very much shocking. I quote an article by Sheela Barse, which has appeared in "Indian Express" of 10th November 1985;

"The thousands of children who inhale cotton dust and fibres and acquire permanent health disabilities while working on the powerlooms

Maharash in Bhiwandi. tra, are, in the last analysis, the million labouring for aire pedhi owners or the Bombay rich millowners of and Ahmcdabad. Among giants who get their cloth made in Bhiwandi are Garware, Raymonds, .Bombay Dyeing, Mafatlal, Reliance Santogen, Febina, Textiles (Vimal) and the great Rajasthan Spinning Mills)"

"An official of the textile department clarifies that the Khatau Mills the first to get their cloth made in Bhiwandi. The powerowners in Bhiwandi confirm these facts and state that the Bhiwandi powerlooms thrive on the assured business from the big mills. The overt proof of the fact that these mills are get ting their cloth woven in Bhiwandi is the stamp on their products which reads "Processed by. ... Mills" and "Manufactured not and Processed byMills" says Manubhai Shah of the Consumer Edudation and Research Centre, Ahmedabad."

Why this is happening — this acute exploitation of the children by the millowners? Even the colonial Act of 1*138 identifies carpet-weaving and wool cleaning as hazardous and prohibits employment of children in these industries. But what is happening? The Acts are flouted before the very eyes of the Government. There also similar Acts which prohibit the employment of children up to the age of 14 in hazardous industries. There is the children (Pledging of Labour) Act, 193J, the Apprentice Act, 196c and the Factory Act, 1948. All these Acts have been thrown to winds.

I quote again her article:

"Way back in 1978 the Hand-loom Handicrafts **Exports** Corporation, a Delhi based body, had already government violated these constitutional and legal provisions, when it set up 200 training centres where children between ages 7 and 14 are taught to weave carpets a job declared hazardous and forbidden by law since the woollen fibres floating around arc dangerous for the child's lungs, eyes and skin. After undergoing training for eight a year,the hours a day for eight nine and ten-year olds are ready for employment in the carpet industry."

This is going on under the very nose of the Government and before the very eyes of the Government- What for are you having these Acts?

Some of the Members, when they were expressing their views sought for a comprehensive Bill and our hon-Labour Minister, for whom I have the greatest respect and regards also admitted that under the present socioeconomic conditions, it is not possible to eradicate child labour. So we have failed. After 37 years of Independence we have failed to create a society where we could protect the interests of children. These children, when they go to the factories—these budding roses, future generation the coming, generation—are exploited by employers those factories in the plantations, wherever they go. The right to childhood is denied to them. We have created such a society where even the Fundamental Rights have been denied.

251

[Shri Dinkara:o Govindrao Patil]

Madam, now the Labour Minister is going to lau ch two projects under the National Child labour Programme. Most of the Members have welcomed the idea. I am not going to plead with the Minister to give nutrition, education, training etc. to the children · who are employed. That approach is totally wrong. The child labour should be eradicated totally. We say it is not possible. Then what for are you having these Acts? Then I would doubt the very bonafides of the Government, the very intentions of the Government. Are we really planning for a day when child labour will be totally cradicated? In that case you will not be preparing such a Bill. A working Group concerned for Working Children, based at Bangalore has prepared a Bill. They have presented a Bill. Our Labour Ministry also has I understand. prepared to be introduced in $_{\rm Bill}$ Parliament. What for? To regulate employment of children. That is a very wrong approach. Our Constitution is very clear. If you are going to bring out such a Bill, then, first of all, you should delete the provisions of the Constitution, you will have to delete the provisioons in the Directive. Principles of State Policy winds are enshrined in our Constitution.

THE VICE-CHAIRMAN IDR. (SHRIMATI) SAROJINA MAHISI: I would request the bon, member to please conclude.

SHRI V. GOPALSAMY : Madam. kindly bear with me for a couple of minutes more.

Tae Constitution is very clear. Article 39 (c) says :-

"39. The States shall, in particular, direct its policy towards securing-

(c) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength:"

While the Government says that because of the socio-economic conditions it is not possible to cradicate child labour, here in the Constitution it is cheerly emigrated that they should not be fore d by reonamic necessity to cuter avocations manaci to tacir age on smallgula. Article ggal says :-

"(f) that children ar : giv in ouportuniti s and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment."

So, it is very clear in the Constitution. But the Fundamental Rights of the citizens, of the children, as: denied; their right to childhood is denied. So, we have not created a welfare' society where the interests of the obildren could be protected.

 $\mathbf{H}_{\mathbb{R}^{+}}$: in the capital city of India. children have had to die at a tender age on the pay month for trant of clothing. This appeared in the press. Throughout the country, millions of children are subjected to univariable hardships for the kimple russon that they have to came bread for their familie. Do you exp et c lidren to become trade union leaders at the age of 14, 15 or 16? And, for that you are going to bring a Bill. Therefore, I would like to tell our Government: All these years you have failed-you have failed to absure the citizens of this country a minimum per capita income so that they need not send their children to the factories. You have failed in that and nobody can deny this fact. You may boast of the achievements of the Government—that you have built so many industries, places, buildings and so on and so forth. You may have spent crores of rupees on NAM, CHOGM and Asian Games, but you have not created a society where the interests of children could be protected. Another Bill which will regulate the employment of children! That means, you are deviating from the direction which has been earlier thought of by our leaders.

This is a small Bill to enhance the punishment. That aspect, I welcome. Punishment should be enhanced for those who exploit children. But in having a proper perspective, we have failed so far. At least hereafter we should create a botter society. All of us have failed. The Government and all the political . parties ave failed to create such a society. But the ruling party has to be blam d more because they have been holding the reins for so many years. So it is a stigma on our society, it is a shame on our society, that millions of our children have to shed their blood and sweat at a tender age in order to carn bread for their families. Therefore, I would request the hon. Minister-because they are very serious about bringing out a comprehensive Bill-not to bring any such obnoxious Bill before Parliament.

Thank you, Madam.

SHRI P. N. SUKUL: Madam Vice-Cimman, I entirely agree with my friendr who spoke bafore my and who found is a rather deplorable state of affairs that inspite of a langer of 38 years some our Independence, we still happy a to be a country with the maximum calld labour. And it is so perhaps become we have the maximum number of e lighten in our country also. According to the 1971 Consus, the population of children below 14 years of age in India was 23 cror s or 230 million. That was supposed to be the maximum population in a country of children of that age group. So, if we have the maximum number of children we have also the maximum number of employed children in our country. I share the unxiety of my friend, Shri Gopalsamy who spoke before me. I share that anxiety so far as the welfare of the children is concerned.

But condenning the ruling party or the Government like that, at least that, I cannot share. Persons like Mr. Gopalsamy, perhaps, do not know what the incidence of child labour is in Britain, what the incidence of child labour is in Germany, what the incidence of child labour is in Japan, in South-East Asian countries and even in America. Why are they there? So, one party or one Government is not to be condemned. At least our Government has been trying to improve the things. It has been trying to bring about legislations from time to time. I think this is the fourth amendment in this very Act that we are now considering. That is all with a view to improving the situation.

But it cannot be improved overnight because of the very size of our population and the child population. As I said in 1971 this child population was 42 per cent of our entire population, before 14 years of age. And you and today the percentage of the peoplu below the poverty line is supposed to be 40 per cent, but I take it as 42 per cent. So, the number of children in the age group of below 14 years is almost the same as the percentage of the people living below the poverty line in our country, And there is a very strong relationship between the two. It is indeed the poverty that is responsible for the cmployment of the children. Otherwise, no parents will send their children for employment at such a tender age, whether they are from U. P. or they are from Tamil Nadu. All parents love their children. Of course, if they cannot make their both ands meet, they have to meet the situation squarely, and that is why these children are employed.

I do not think in the coming ten or twenty years even we will be able to eradicate this evil of child employment. We have simply to regulate it.

Unless our poverty goes, unless we dispense with our poverty so that the children at a tender age do not have to go and work for oking out their livelihood, we will have to face this malady, this curse as it is being faced by people in other countries, even advanced countries, as I said. So, we have to regulate it in a way that the children will get their due share of benefits, and also with the removal of poverty, with the rise in our incomes naturally, you will find that this percentage will come down. But it

[Shri P.N. Sukul]

is directly related, directly proportional to the poverty in our country. So, so long as poverty is there, the number of children, employed children, will be there.

Now, there is something I would like to point out. In 1971, according to the Census Report, the number of unemployed children was 107 in our country. In 1975 it up by 3 lakhs; it was no lakls. And in 1980 it was supposed to be of the order of 175 lakhs. So, with the increase in our population, inspite of the decrease in the percentage of those below the poverty line, the number of employed children is going up, up, That real purchasing means the power of the people has not risen to that extent. This is all I can say. (Time bell rings) 90 per cent of these children arc working in plantations, factories, hotels, forests, cottage Industries, beedi industries. etc. But what happens is that, as some of our friends have pointed out, these children are paid less wages. They are made to work beyond the prescribed time-limit. Madam, under the Factories Act, no child should be asked to work for more than 41 hours. So, if these children are made to work beyond 8 or 10 or 12 hours any where, as some of my hon. friends have pointed out, our Government must deal with them sternly and punish them severely. That is why this Bill which, has been brought forward for our consideration seeks to enhance the fine and, of course, imprisonment also. It is because of poverty that our children who should have gone to school at that age are going to work in factories.

According to the report of the Ministry of Education, 70 per cent of the children leave schools before they attain the age of 14 years. According to another survey report published by the Journal of Public Administration, 20 per cent of our rural children do not go to school at

all. That is becasuse of povery, but not because of lack of interest in education. As I said earlier, we have to be realistic in our appproach. Simply we cannot do away this malady so easily. But we have to improve matters and what we can do tei ensure (1) that the child labour gets his dues wages. In most of the plantations they are given hall the wages. Thier wages must be proportionate to the actual work dono by them. The employers should not think that I hey are children and should be paid less. When these children work on par with adults they must be paid squarely. (2) There should not be any overtime. Thier working hours should be limited. (3) All these children who work in factories don't get any benefits. They don't get even medical facilities. They don't get the benefit of G.P.F. these benefits must accrue to these children if the employer wants them to work properly. Sometimes these employers retrench thier services so that they are not regularised and there is no permanent liability upon them because of these children. So, it must also be ensured that they aie not retrenched in a callous way. They must be regularised and given all those benefits which regular employees get.

Of course;, the provisions of the Inelian Factories Act must also be complied with strictly as envisaged in this Bill. All those who transgress the limits laid down in these labour laws must be punished in an exemplary way. That is why, Madam, I do not think that this Bill alone is going to meet the situation by increasing the term of imprisonment by six months or a fine upte>Rs. 2,000. We are not going to achieve the desired results. That much is sure. But still if our Government thinks that it can be of any use in dealing with the situation then, of course, I support this Bill.,

Madam, with these few words, I support the Bill.

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTERJEE (Nominated): Madam Vice-Chairman, to start with I must say, that we are optimistic and not pessimistic. Therefore, I do believe that this Bill will be effective in solving the problem of child force which is a social and also a universal problem — I would, say.

The child labour is cheap and readily available and, that is why the child, labour is being exploited by the employers for the material gain taking advantage of their poverty.

The child, labour is associated with two different vet related factors: one economic feature and the other social evil. As an economic feature, the child labour refers to the employment of children in gunful occupations away from the family. The second aspect which is becoming a point of universal concern is the danger to which the child is exposed, as they are denied the opportunities for their physical, moral and cultural developments. Realising the child, labour as a social problem which has caused much concern all over the world, the General Assembly of the United Nation animously adopted the Declaration of the Rights of the Child on November 20, 1959. The document said: I quote, "Mankind, owes to the child and the best it has to give". But for millions of children it remains » forgotten manifesto. In this context, I welcome this Bill. I do believe that it will give remedial measures to our child labour force which, are indeed assets of our country.

Midam, Indi I has the 1 irgest child labour force in the world and in 1979, out of a child, population of 230 million, 16.5 to 17.5 million were said. to be in labour force, majority of them being employed in agriculture, plantations viz. tea and coffee etc , in mines, factories and various small scale industries. This labour force is also employed as newspaper haw-

1269—Rs—9

kers, employed in shops, (motor repairing and cycle repairing % c) in restaurants and hotels and. domes tic services. They are also employed as a floating work force in odd. jobs including organized and unorganized sectors. In spite of an array < f legislations and serious efforts by national and. international Institutions concerned, about child welfare, the number of illegally employed children is increasing. According to the Indian Constitution, the child below the age of fourteen shall not be employed to work in any factory cr mire or engaged in any form of hazardous em-ployment. The employment of Children Act icstricts employment of children below the age of 14 in the manufacture of bidi, carpet, cloth, printing, matches, firework and explosives. But this Act is being violated-Thc In'ernational Labour Organis-zation report says that about five year old children in thousands are working in match factories in India for 16 hours a day from three in the morning. In Meghalaya the child) en work in mines of private companies. It is a pity that the children under 14 years of age are made to work under hazardous and insanitary conditions for considerable longer hours than the law prmits. As a result of occupational and health hazards the children not only are the victims of serious accidents, they suffer from dreadful diseases which in many cases lead to their prematured death. The children working in mica mines suffer from various lung diseases, the fatal one being silicosis. The children working in carpet weaving indusuics and cotton fiber suffer from tuberculosis and asthma as a result of in-hailing fluffs of wool and cotton constantly. The children working in factories specialising in tinning and nickeling of iron-ware can be seen with arms elbow deep in vats of acid, their eyes watering in acid fumes. The particular piofession is not coveted under the Employment of Children Act amended in 1982. The labour organisations and the various committees constituted to

[Prof. (Mrs.) Asima Chatterjee] study the possibility of abolition of child labour have seriously considered that eradication of child labour is neither feasible nor desirable in the present" socio-economic conditions. But steps should be taken for the education and subsequent vocational training for the children, for the child labour force, so that they can arrange self-employment in future. Also various welfare programmes must be implemented for providing them amenities. These measures are to be taken for progressive amelioration of child labour.

It may be stated that illiteracy among the children has to be eradicated. However, for solving this social problem, stringent measures have to be taken by the Government of India and legislation has to be passed to ensure that there are : (i) legal provisions relating to the age of employment; (2) legal provisions relating to the facilities and working conditions of the employed children; (3) legal provisions for their health, education, physical development, moral and cultural development; (4) legal provisions for taking safety measures against illhealth and occupational hazards, (5) legal provisions for basic education: and (6) legal provisions to protect their rights which need enactment of protective labour and child welfare laws.

However, it is true that legislative measures only may not bring any radical change. Social pressure should be brought to eradicate this evil. It has been reported that the incidence of child labour is relatively low where the literacy rate among children is high. This is a press report. So illiteracy among the children should be eradicated. In my opinion, the employers should provide facilities for basic education, non-formal education which will be meaningful in the true sense in rural, urban and semi-urban areas. Children coming from poor families and under privileged classes should be provided

all facilities for non-formal education, to start with, and later on, vocational training. This should be done in order to equip them for self-employment in future. At die same time, relief should be given to the poor parents, the poor families with, reasonable financial assistance just for their survival, for fighting against poverty and hunger.

While concluding, I would appeal to the Government of India, tin you, Madam, and through the hon. Minister, that a machinery should be evolved for monitoring: a monitoring cell should be constituted in cooperation with the State Governments because the Centre by itself cannot do anything unless and until the States cooperate. Therefore, in each State there should be a cell for vigilance on the employers who are exploiting the child labour force. They should be forced, they should be compelled to provide facilities to the child labour for their basic education and also for implementing the welfare programmes meant for them. If they are reluctant to do so, stringent measures should be taken against them. Therefore, it is necessary that frequent inspections should be done and the reports in this connection should be available to the Centre from the States.

Lastly I must say that it is our duty, our primary duty to look after the child labour force and also to take care of the children who are in the grip of poverty. And time bound programme should be implemented for eradicating illiteracy and also for providing them with the minimum needs ju>t for their survival and for giving them effective training for self-employment, for getting job opportunities in future, then it will be possible to deal with this social problem successfully. Thank you.

श्री सुखबेब प्रसाद (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, चाइल्ड लेबर अमेड-मेंट बिल के संबंध में अपने दौस्तों के विचारों को सुना और यह पाया कि हर तरफ से इस बात का जोरदार प्रयास किया जा रहा है कि श्रवयस्क मजदूरों के सुधार के लिए कोई एक ज्यादा कम्प्रेहेंसिव कानुन होना चाहिए जिससे कि उनका कल्याण हो सके। मैंने सारी वालों को सुना। ज्यादातर हमारे दोस्तों ने दिल्ली के बारे में और खास तीर से दिल्ली, वस्वई, कलकत्ता, मद्रास जैसे महरों के बारे में चाइल्ड लेबर की समस्या का जिक्त किया। लेकिन उनको यह पता भी नहीं है कि देहात के ग्रन्दर खेतों में गांवों में रहने वाले जो बाल मजदर हैं उनकी क्या समस्या है देहातों में रहने वाले छोटे-छोटे बच्चे खेतों में जा कर के काम करते हैं, खिलहानों में जा कर के काम करते हैं ग्रौर दिन भर की मजदूरी से किसी तरह से ग्रपना पेट पालते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में वर्तमान समय में हम सरकार से कहें कि वह इसको सलझा सकेगी तो गायद यह ग्रसंभव है। शहरों के बारे में तो कानन पास करने के लिए और दूसरी बातों के लिए सिफारिश की जा रही है लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ हमारे साथियों ने इस बात पर जोर दिया कि 38 साल की ग्राजादी के बाद यह एक ऐसा कलंक हिन्द्स्तान के माथे पर है और यह सरकार इतनी निकम्मी है कि वह इसको दूर नहीं कर पाई। लेकिन में उन से पूछता हूं कि उनकी बात तो जाने दीजिए लेकिन जो मुल्क हमेशा से आजाद रहे और जिन मुल्कों में इस तरह की कोई समस्या नहीं है जहां पर कि पावर्टी नहीं है वहां पर वह चाइल्ड लेबर वेलफेयर कानन क्यों पास हुए हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया का शायद ही ऐसा कोई महक बचा होगा जहां पर चाइल्ड लेबर के बारे में कानृत पास न हमा हो और कानून न हो उसके तहत लोगों को सजा भी होती है। भारत सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया तो कोई बुरी बात नहीं है।

दूसरी जीज यह है कि इतने बड़े मुक्क में जहां पर ग्राज 75 से ले कर 80 करोड़ तक की ग्राबादी हो गई है वहां पर हमारी बहत सारी समस्याएं

हैं। 37 साल का आजाद हक्रा मुल्क जो हर समस्या से बहुत ग्रन्छी तरह से जुझ रहा है, हर दिशा में तरक्की करता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है उसने चाइल्ड लेबर बेलफीयर के संबंध में भी अपनी नीति निर्धारित की है और उसके लिए कम्प्रेहेंसिव कानून वनाने ग्रीर दूसरे कानुन बनाने की व्यवस्था कर रहा है उसके लिए तो यह सरकार बधाई की पात्र है जिसने इतने थोड़े समय में चाइल्ड लेबर बेल-फेयर के लिए इस तरह के कानून की व्यवस्था की है। एक चीज और मैं आपको बतला देना चाहता हूं। हमारे दोस्त हाशमी साहब ने बड़ा दर्दनाक चिन्न खींचा, लगा कि उनका बड़ा दर्द है चाइल्ड लेबर के बारे में लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं (व्यवधान) देखिए साहब दर्द लीडर को बहुत है मगर धाराम के साथ। झाराम के साथ जो दर्द है बहु भ्रापने लोगों को जाहिर किया है उस संबंध में यह कहना चाहता हं कि कितनी सोशल संस्थाएं भ्रापने ग्राज तक कायम की हैं जहां इन गरीव बच्चों को बजाय मजदूरी के कहीं पढ़ाने की व्यवस्था की है? कोई भी सोशल व्यवस्था होनी चाहिए । सारा जिम्मा सरकार के माथे डालना धौर कहना कि सरकार जो कर रही है वह नाकाफी है। सरकार ने छोटे बच्चों को, असहाय बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्रांगनवाड़ी भीर बालवाड़ी जैसी व्यवस्था को किया है। उसने सी० डी० एफ० जैसे प्लान को स्थापित किया है जिसमें चाइल्ड लेबर के लिए डवलपमेंट के लिए सरकार करोड़ों नहीं धरबों रुपए खर्च कर रहा है फिर भी यह कहा जाता है कि सरकार बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी एक दोस्त ने कहा कि इसके तहत केवल 15 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है। मैं समझता हूं कि 15 लाख रूपए एक ब्लाक में खर्चे हो रहे हैं तो एक जिले के अन्दर की बात तो जाने दीजिए पुरे मल्क के धन्दर 15 लाख के खर्च का व्यवस्था कैसे हो सकती है यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं इतना जरूर' कहुंगा कि इन सारी बातों के

श्री स्खदेव प्रसाद]

बावजद भारत सरकार इन सारीसम-स्याग्रों से जझते हुए भी चाइल्ड लेवर बेलफेयर के लिए और इनकी भलाई के लिए जो कुछ भी कानून बना रही है मैं उसका तहेदिल से स्वागत करता है। गरीबी एक दिन में नहीं जाएगी। विलो पावरटी लाइन जितने लोग हैं, उसको हम एक दिन में खत्म नहीं कर सकते। सैतीस साल का समय कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है। इसलिए इसके लिए हमको वक्त लगेगा । जब हम ग्रागे बढ़ेंगे तो ऐसी सरत में यह चाइस्ड लेबर, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, वह स्कूलों में पढ़ने-लिखने जाएंगे बौर फिर इस समस्या का भी समाधान होगा। मैं चाहता हं कि छाप इस पर धपने तहैदिल से विचार करके बजाय नक्ताचीनी के कोई कंस्ट्रक्टिय कदम उठाएं ताकि सरकार को आपका सहयोग इसमें हो सके और सरकार ग्रामे बढ़ करके इन गरीब बच्चों की भलाई के लिय कुछ ज्यादा ग्रच्छे कानून बना सके, ज्यादा ग्रम्छा काम कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Now, Mr. Matto. Not here. Yes, Mr. Rafique Alam.

भी रफीक क्रांलम (बिहार): उपसभा-ध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं अम मंत्री को देता हं कि उन्होंने दी मबारकबाद एम्पनायमेट ग्राफ चिल्डन (अमंडमंट) बिल, 1985 हाऊस में पेश किया है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि बच्चों के बारे में सबको हमदर्जी है, चाहे यह किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, या किसी मजहब से ताल्लक रखता हो या किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो। वच्चे देश के हैं और बच्चों के बारे में हर एक ब्यक्ति को सोचना चाहिए। इस कानून में साफ जाहिर है कि जो बच्चे को एम्पलायड करेगा, उसको कम से कम तीन महीने की सजा और 500/-स्पर्य जुर्माना होगा । लेकिन बात सोचने की यह है कि यह बच्चे प्राखिर क्यों काम करते हैं, इसकी क्या वजह है ? हर बाप चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़ें, कुछ बर्ने। हर मां चाहती है कि उसके बच्चे आगे बढ़ें। सबसे बड़ा कारण हमारे सामने जो है, वह हमारी गरीबी है और इस गरीबी की वजह से मजबरन यह बच्चे काम करते हैं और मां-बाप को दो पैसा कमा कर देते हैं। यह हम सब के लिये, एक बेहतर मुल्क के लिए, एक बेहतर समाज के लिए जर्म की बात है हमारे देश के नन्हे-मुन्ने बच्चे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे कारखानों में काम करें, खेतों में काम करें। माइन्स में काम करें या टेन्स्टाल में काम करें, रेलवे स्टाल ग काम करें। इस तरह से यह बच्चे काम कर रहे हैं और जब इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाता है तो विरोधी दल के लोग कुछ ग्रीर ही कहते हैं। लेकिन इसमें विरोध की क्या बात है ? यह तो समाज जिम्मेबार है कि इस समाज में वह बच्चे पैदा होते हैं, जिनको हम पलने नहीं देते हैं, हम उनको पढ़ने नहीं देते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कुदरत की तरफ से मेहम सब बराबर हैं। सुरज की रोशनी अगर अमीरों के महलों पर पड़ती है तो गरीबों की झोंप-ड़ियों में भी पड़ती है। चांद की चांदनी ग्रमीरों के महल पर पड़ती है, तो गरीबों की ऑपडी पर भी पडती है। अगर बच्चे पैदा होते हैं, तो यह नहीं होता कि अमीरों के यहां रेशम के कपड़े पहन कर बच्चे पैदा होते हैं और गरीबों के यहां नंगे पैदा होते हैं। इसलिए समाज में परिवर्तन जाना होगा। सिर्फ सरकार को दोष देकर यह मामला हल नहीं किया जा सकता भीर जब कोई बात हो जाती है, चाहे बाढ़ स्ना जाय तो सरकार जिम्मेदार झौर कहीं सुखाड़ हो जाने, तो सरकार जिम्मे-वार, कोई काम सही हो या गलत, उसके लिये सरकार को जिस्मेवार बनाया जाता है। तो इस तरह से सरकार पर टाल देने से कोई मामला हल नहीं होगा। इसलिए समाज के हर भक्त को सोचना होगा कि यह मामला कैसे तय हो, हमारे बच्चे किस तरह से आगे वहें। हो सकता है कि इन्हीं बच्चों में कल के मोती हों, जबाहर हों, इंदिरा हों, मौलाना आजाद हों, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस हों, जिनके हाथों से मुल्क की हिफाजत होगी। इस लिए इन बच्चों के प्रति हमदर्दी के तौर पर देखें।

इन शब्दों के साथ मैं चन्द सुझाव देना चाहता हूं। इसके लिए हमारी गरीबी जिम्मेदार है। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार भी काम कर रही है, लेकिन साथ ही हमारे समाज के लोग भी आगे माएं। म्रभी सुखदेव बाबू ने ठीक ही कहा कि हम सब लोग सरकार की ग्रीर देखते हैं ग्रौर सरकार को बदनाम करते हैं। हम लोग भी कुछ करें जिससे समाज में बच्चे भ्रागे बढ़ें। सरकार को चाहिए कि जनकी पढ़ाई का, खाने-पीने का **ग्रौर** ग्रागे बढ़ने का इन्तजाम करे, लेकिन साथ-साथ समाज को भी करना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन बिल का समर्थन करता हूं श्रीर उम्मीद करता हूं कि भविष्य में हमारे बच्चे फूलैंगे-फलेंगे ब्रौर भारत का नाम रोशन करेंगे।

†[شرى رفيق هالم (بهار) : أب سبها

ادھیکش جی - سب سے پہلے میں شرم ملتری کو مهارکیاد دیته هون که اربون نے امولائيمهنت أف چاقرن (امند مهلت) یل - ۱۹۸۵ هارس مین پیش کیا -السهن کوئی دو رائے۔ تہیں۔ میں که بحوں کے بارے میں سیکو شدردی ہے جامے وہ کسی ہارتی سے تعلق رکھتا ھو یا کسی مذھب سے تعلق رکھا ھو یا کسی دهرم سے تعلق رکھتا ہو۔ بھے دیش کے میں اور بھوں کے بارے میں ہو ایک کو سوچنا جاھئے -اس قانوں میں صائب ظامر ہے کہ جو بھے کو اسپائٹ کرے کا ا۔ کو کم سے کم تین مہیلے کی سزا اور پانیے سو روپده جرمانه هوگا - لهکنی بات سوچنے کی یہ ہے کہ بھے آگمر کھوں۔ کم کرتے هیں اسکی کیا رجہ ہے - هر

†[] Transliteration in Arabic Script.

باپ جاهتا هے که اسکے بنچے آئے بوهيں-کچهه بنیں - هر مان چاهتی هے که اسکے بھے آگے بوھیں - سب سے بوا کارن همارے سامانے جو ہے۔ وہ هماری غریبی ہے اُور اُس فریبی کی وجه سے مجووراً به بجه کام کرتے هیں اور ماں ایاپ کو دو پیسه کما کر دیاتے هیں -يه هم سب كيليًے - ايك بهتر ملك کیلئے ایک بہتر سماج کیلئے شرم کی ہات ہے کہ شہارے دیش کے تلیے ملے بھے ہارہ ۱۳ کہلئے کارخانوں میں كَام كريني - كهيتون مهن كام كريني -مائنس میں کام کریں یا ٹی اسٹال شہر کام کوہن ریلوے اسٹنال میں کام كرين - اسطرح سے يه بنچے كام كررهے هیں اور جب اسکی طرف سرکار کا دمیاں جاتا ہے تو ورودھی دل کے لوگ کچهه اور بهی کهای هیں - لیکن اسبهن ورودهه کی کیا بات ہے ۔ یہ تو سمام ذمعدار هے که اس سمام میں وہ بچے پیدا ہوتے میں جلکو هم بللے نہیں دیتے هیں - هم أنكو يوهل نهيل ديته - هيل - انكو آلے ہوھئے نہیں دیتے قدرت کی طرف سے مهدّم سب برابر بعهن - سورج کی روشنی اگر امہروں کے محملوں پر پڈتی هے تو فریبوں کی جهرنهویوں پر بھی پوتی هے - چاند کی چئندنی امهرون کے محلوں پر پڑتی ہے تو فریدوں کی جهونپڑی پر بھی پڑتی ہے۔ اکر بھے پیدا ھرتے ھیں تو یہ نہیں ھوتا کہ امیر کے یہاں ریشم کے کیوے یہی کر بھے پیدا ہوتے میں

[شرى رفهقعالم] اور فریبوں کے یہاں ننگے پیدا ہرتے ہیں اسلكے سماج ميں پويورتن لانا هوكا -صرف سرکار کو دوهی دیکر یه معامله حاص لہیں کیا ہا سکتا اور كولى بات عو جاتي هے - جاهے بازھ آ **جائے تو** سرکار ذمہدار اور کہیں سکهاز هو جائے تو سرکر ڈسکدار -کوئی کام صحیح هو یا فلط تو اسکے لئے سرکار ذامقدار تو اس طرح سے سوکار پر ڈال دیاہے سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا - اسللے سباج کے ہر شخص کو سرچنا شرکا که یه معامله ايسے طے هو - همارے بچے کسطرح أئے بوهیں - هو سکتا هے که انهیں بحوں میں سے کل کے موتبی ہوں ۔ جواهر هون - الدرا هون - مولان آراد هوں۔ نیتا جی سبهاش چندر بوس هوں۔ جلکے شاتیوں سے ملک کی حفاظت ہوئی - اسلکے ان بھوں کے پر**ت**ی

ان شدوں کے ساتھ میں چاد سجهاؤ دینا چاھتا ھوں - اسکے لگے لگے ماری فریعی فریعی فریعی فریعی فریعی کو در کرنے کھائے سرکار بھی کام کر رشی ہے - لیکن ساتھ ھی ھمارے سماج کے لوگ بھی آگے آگیں - ابھی سکیدیو بابو نے ٹھیک ھی کہا ہے کہ شم سب لوگ سرکار کی طرف دیکھتے ھیں اوو سرکار کو بدنام کرتے تھیں سماج مھی بھے آگے بوھیں - سرکار سماح مھی بھے آگے بوھیں - سرکار

شمدردی کے طور پر دیکھیں -

کو چاھئے کہ انکی پومائی کا کہائے ۔ پہنے کا اور آئے بڑھلے کا انتظام کرے ۔ لیکن ساتھ ساتھ بھی کرے ۔ میں ان شیدوں کے ساتھ اس سلشودھن بل کا سمرتھن کرتا ھوں اور امید کرتا ھوں کہ ھمارے بیچے بھولیں کے پہلیلگے اور بھارت کا نام روشن کرینگے ۔]

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI] : Shri Hanumanthappa.

AN HON. MEMBER: There is no quorum in the House.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI] : Mr. Hanumanthappa. I would request you to take three minutes only.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam Vice-Chairman, following your instructions I do not want to relay statistics as my friends have done. I am looking at this problem from a different angle. We have discussed the problem of child labour. The punishment that has been brought, I feel, is inadequate. Instead of a fine of Rs. 500 or six months' imprisonment, it should be more severe. It is also not clear whether the punishment is the same irrespective of the number of children employed. It should be for every child. If any person employs 100 children, if he is punished only Rs. 500 or with one year's imprisonment, it is not in commensurate with the offence that he has committed. It should be more severe. For every child that he employs in say, the carpet industry, silk industry, mat industry, handloom or anywhere, if the same punishment is given, that is not in commensurate with the offence that he has committed; it should be more severe. If he employs more children, the punishment should be more. This is one aspect,

The second aspect is that we have all these days punished the employer. Now, we forget that child labour is more practised or persuaded by the parents themselves. Here is the disease. So we have to find out the reason for this disease and treat it. In spite of our accepting free and compulsory education in the year 1950 in our Constitution, even today the literacy rate is 36 per cent. Sixty-six and two-thirds per cent of our population was born after independence, after we gave the Constitution for ourselves. But still the literacy rate is 36 per cent. That mean?, the parents are not induced by free and compulsory education. These children of parents who are below the poverty line are earning members of their families. So the parents are inclined to send their children as child labour, because they get some money. So he earns and it becomes food for the family. I request the Government that where there are child labourers who are induced by their parents, Government should take a stand that their wages should be compensated. The parents should be given compensation. Then only they will withhold sending their children as child labour and they will send them to schools. Here is the problem actually. The children are earning members of die people who are below the poverty line. So they are induced to send their children for child labour. (Time Bell rings) So if the Government takes up the responsibility of those children and pays compensation whatever that may be, to the parents, then this child labour will be done away with. So the parents should al=o be penalised if they do not send their children to school. If the parents do not take care of the children, in such Cases the children should be collected and taken to schools and they should be maintained by the Government.

These things will cetainly go a long way in doing away with child labour and not by bringing severe laws and punishment clauses in our Acts.

Thank you, Madam.

श्री **टी**० **शस्त्रीस्य।** : मैडम चेयरमैन, वहत से मेम्बर्स ने चाइल्ड लेबर के बारे में अपने दिल की बात बतायी । यह बिल कोई कांग्रेहेंसिव विल नहीं है, बस्कि इस में तो केवल पनिश्रमेंट के वारे में कहा गया है । हमारे सामने ग्रमी बहत से सबाल हैं । जैसा कि द्याप जानते है हिन्दुस्तान में बहत से सोशल इबिल्स में एक चाइरूड लेवर भी है। जैसे विकंग वीमेन का एक्प-प्लाय्टेंगन होता है, बांडेड लेबर का एक्स-प्लाबदेशन होता है, इसी तरह से यह भी एक तरह का बच्चों का एक्सप्लायटेशन है ब्रीर यह लगातार हो रहा है। कल हो हमने बांग्रेंड लेबर के बारेम बात का थी। उन का भी देश में एक्सप्लायटेशन है । हमारी ग्राजादी के वाद जो हमारे देश में बहत से सोशल इविल्स हैं उनको हम धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। किसी ने कहा कि आजादी होते ही सब कुछ हो जाना चाहिये था । लेकिन यहाँ राजे-महाराजे थे, जमीदार और जागारवार थे। पहले देण में उनका ही राज था। उनको यहां से उखाइने में ग्रीर जनता के प्रतिनिधियों को यहां लाने में कितना ही बक्त लगा है। यह तो नहीं होता कि एक सिनेमा देख लिया और सब कुछ हो गया । हमारे प्रो० लक्ष्मणन जी तो सिनेमा देखकर ही अपनी बात कहते हैं। वह क्या बात कहते है यह मैं तो समझ नहीं पाया । ग्राप जानते है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रौर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस सिलसिले में कुछ कदम उठाए हैं । हमें इस के लिये कुछ करना चाहिये। कल ही ग्रगर हम ने सारे चाइस्ड लेबर को समाप्त कर दिया तो क्या नतीजा होने वाला है । क्या हम को श्रवने लोगों को मारना है । हम तो इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं । धीर जो खरावियां Ē. जो - एवसप्लायटेशन है उस पर गुछ रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हैं। ग्राज गांवों के जो बच्चे हैं, ये तस्दरूस्त हैं । उनको ग्रन्छी हवा पानी मिलता और एग्रीकल्चर वर्क लाइट होता है। लेकिन जो शहर हैं, वहां के बच्चे या ताल्लुकों के बच्चे जो हैं, उनके लिये प्रावलम है । वहां बच्चों एक्सप्लायटेशन किया जाता है । आज गांवों में जो बच्चे करते हैं, ये एग्रीकल्चर फील्ड

[श्री टी॰ यन्जैह्या]

में अपने मां-बाप के साथ काम करते हैं। वे वहां खेलते कुदते भी हैं ग्रीर काम भी करते हैं, लेकिन शहरों में हम देखते हैं, जैसे शिवकासी है या जहां माचिस की इण्डस्ट्रीज हैं, वहां या जैसे मिर्जापुर में जहां कार्पेट्स बनती हैं. वहां के लिये बहिन जी ने बताया कि जनको कितनी ही बीमारियां हो जाती हैं! इसके बारे में हमने रिपोर्ट मंगायी है। बज्जे दस घण्टे तक बराबर खेला करने हैं ग्रीर खेलने हुए काम कर सकते हैं। ग्राप यह नहीं कह सकते कि वे खेल-कुद रहे हैं, इसलिये उन के पैरों में दर्द हो गया होगा । या कोई बच्चा झुला झुलता है, तो उसके लिये कोई नहीं कहता कि वह थक गया होगा। मेरा ग्रेंड सन है। वह सुबह से शाम तक खेलता रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो वर्कसं का एक्सप्सन्यटेशन किया जारहा है। यह तो दूसरी बात है। इसके ग्रन्दर वीमारियां ग्रा जाती हैं ग्रोर एक जगह बैठना पड़ता है ग्रोर एक जगह बैठकर जब स्रादमी काम करता है, तो जिस्म पर उसका ग्रसर पड़ता है। इसलिये हम सोच रहे हैं कि समाज पर कुछ सैस लगाना चाहिये। उस फैक्टरी में कम रो कम चाइल्ड लेखर के बारे में, वॉकिंग वीमैन के बारे में, बाडेड लेवर के बारे में कुछ करना चाहिये । गर्वनमेंट ने बांडेंड लेबर के बारे में कुछ किया है। चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ सैस लगाना चाहिये, जिससे कुछ पैसा जमा हो, जिससे बच्चों को देनिंग दी जा सके, उनकी एजकेशन हो सके, उन लोगों के लिये ऐसे काम किये जा सकें, जिनमें उनके लिये काम निकल सके। जैसे टी प्लॉटेंशन है, वहां के लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा सके और उनको न्युट्शिस फूड मिल सके, मैडिकल फैसिलिटीज मिलें । इस तरह की स्कीम हम सोच रहे हैं। वह सब स्कीमें इण्डियन लेवर कांफ्रेंस में भी डिसकस होंगी, इनकी वहां चर्चा की जा सकेगी भीर तमाम मैनजमेंट के ऊपर इसको लागु किया जायगा। जैसे बीड़ी के ऊपर हमने सैस लगाया।

मुसीबत यह है कि स्टैट्स पैसा खर्च नहीं करतीं । बीडी के अन्दर इतना पैसा है लेकिन मकान बनाने के लिये. अस्पताल बनाने के लिये वे पैसा खर्च नहीं करते। तो सेंटर क्या करेगा? क्या स्टैट्स वर्किंग वीमैन, वार्डेंड लेवर के बारे में कुछ नहीं कर सकते? अपगर वे कुछ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। क्या ये एक्साइज इयुटी वसूल करना, लिकर का पैसा वसुल करना ही उनका काम होता है तो जो सोशल इविल है, उसके बारे में स्टेट गर्वनमेंट की जो पुरी रिस्पांसिबिलिटी होती है । बया उनकी यह रिस्पांमीविलिटी नहीं है । किसी ने कहा कि 15 लाख दो, 20 लाख दो । 5 करोड़ रुपमा उनको दिया गया, लेकिन फिर भी खर्च नहीं हुआ । हमने उनको कहा खर्च करो, खर्च नहीं किया तो हम क्या करेंगे? हम यहां से उनको प्रोग्राम दे सकते हैं, देते हैं, लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं हमा । माइका डैबलपमेंट बोर्ड में पैसा लगा हुआ है। पैसे के बारे में फिक नहीं है। लेकिन बात यह है कि काम करने वाले जो ग्राफिसर हैं, उनके ग्रन्दर जब तक विल पावर नहीं है, हम क्या कर सक्ते हैं ? हम उनका क्या ग्ररेजमेंट कर सकते हैं। ग्राप जानते है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया तो लोग कहते हैं कि बगर इंक्वायरी के निकाल रहे हैं। तो सम्बे-सम्बे प्रोसैगन निकासते हैं कि हमारे कांस्टीट्यूशन के खिलाफ हमारे फंडामेंटल राइटस के खिलाफ काम हो रहे हैं। फंडामेंटल राइट उनके लिये हैं, जो काम नहीं करते। जो काम करते हैं, उनके लिये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ग्राज इस मुल्क में यही रोना है। इसलिये जब तक स्टैट्स इसमें इनबाल्य नहीं होंगी, उनके सामने जो सोशल इविल्स हैं. उनको वे जब तक देखते नहीं हैं, अस्पताल वनाने हैं, मकान बनाने हैं, बच्चों के लिये खास इन्तजाम करना है, तो जब तक यह कोशिश नहीं होते। है यह समस्या हल होने वाली नहीं है। कुछ सोशल बालंटरी ग्रागेनाइजेशंस है। वह काम कर रही हैं। मैं नहीं कहता कि काम नहीं कर रही हैं। लेकिन इस तरह से करोड़ों बच्चे जो काम कर

रहे हैं, छनका मसला हल होने वाला नहीं है। उनको देखने के बाद ऐसा भी मालूम होता है कि अपनी कोई पीजिशन, कोई तनख्वाष्ट न मांगते हुए भी अभी भी बच्चों के प्रति देश में मोहब्बत है। ऐसी ग्रागेनाइजेशंस मैंने देखीं, ग्रहमदावाद में भी देखीं, गुजरात में भी देखीं, कुछ मद्रास में देखीं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, जो कि पोलिटिकली मोटिबैटड नहीं हैं ?

हम उसकी मदद करना चाहते 5.00 P.M. हैं । यह पनिशमेंट क्यों रखी गई ? यह इसलिए गई कि जो बच्चे हैल्थ हैजर्डस हैं यानी रेल की पटरियों में से कोयला निकालते हैं, जलते हुए कोयला निकालते हैं, उससे उनका कितना ही नकसान होता है। उनका हाथ जल जाता है। इन तमाम चीजों के देखने के बाद हमने फैसला किया है कि यह पनिशमेंट रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम चाइल्ड बैलफेयर एक्टिविटी या चाइल्ड लेवर्स के लिये गलत काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी कम कर रहे हैं। जो ग्राने वाला बिल है वह भी हमारे एम्पलायसं, ट्रेड यनियंस के सामने, लेबर मिनिस्टरों के सामने, लेवर डिपार्टंगेंट ध्रफसरों के सामने ये सब चीजें डिसकस करके बिल हम भ्रापके सामने लायेंगे। पुरे तरीके से कोशिश करेंगे कि यह विल हर हालत में सकसैसफुल हो जाए । हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान की ग्राजादी के बाद मजदुरों के लिए बहुत कुछ किया। प्रोविडेण्ड फंड स्कीम लाग की लेकिन उसका यटीलाइजेशन कैसे होता है यह ग्राप जानते हैं। मजदूर प्रोविडेंट फंड से चिट फंड बनाता है । हम यह चाहते हैं कि वर्कर्स जो रिटायर हों उनको कम से कम वैजेज तो मिलती रहे। पेंशन स्कीम की बात है। इसी तरह से और अच्छा स्कीम्स हैं। लेकिन टेड यनियन लीडर्स बोलते हैं कि उनका पैसा वापस कर दो। खा लेंगे ग्रीर क्या करेंगे। जब वह रिटायर हो जायेंगे तो उनको पुछने वाला कोई नहीं है। मेडिकल फेसिलिटी, इंग्योरेंस की जो स्कीम है अच्छी है लेकिन ट्रेड यनियन वाले कुछ बोलते नहीं हैं। हम जानते हैं कि रिटायर होने के बाद उनको कोई दवा मिलने वाली नहीं है। हम इन सब बातों के बारे में सोच रहे हैं। देड यनियन की तरफ से इस तरह की कोई डिमांड नहीं याई। वह तो यह कहते हैं कि इनको पैसा दे दो, मत बचाओ इनके लिए। रिटायर होने के बाद वे क्या करेंगे

ग्रपना फेमिली पयचर तो देखना चाहिए । ग्राज उनकी सेविंग के लिए हम ही बात करते है वे नहीं कहते । उन्हें पता है ट्रेड युनियन लीडसं को पता है। वे मजदूरों के बीच जाकर नहीं कर सकते।

इसी तरीके से हम चाइल्ड लेवर्स के बारे में वात कर रहे हैं। जब कभी बच्चा दो-चार दिन के लिए बाहर चला जाता है तो हर महीने उसके पैसे काट लिये जाते हैं। हमें यह देख कर द्ख होता है। हम तो यही चाहते हैं कि किसी तरह से ये बच्चे खुग रहें। ये हमारे बच्चे हैं। हम जो उनके लिये यह कदम उठा रहे हैं वह उनके फायदे के लिए उठा रहे हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको एम्पलायमेंट दे नहीं सकते । वे बाहर जाते हैं। उनके साथ एक्सप्लायटेशन होता है । इसका भा सवाल हमारे सामने है । जो काम किया जा रहा है वह मजबती के साथ. सोच-समझ कर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उससे किसी को कोई नकसान हो । हम यह नहीं चाहते कि कल मा-वाप यह बोलें कि यह एक्ट ग्रच्छा लाये कि हमारे बच्चों को बेरोजगार वना दिया । कोई न कोई काम ऐसा करना चाहते हैं जिससे बेरोजगारी न बढे। हम चाहते हैं कि उनको टेनिंग मिलती रहे. एज-केशन मिलती रहे ग्रीर साथ ही उनको रेस्ट भी मिले। इन सब चीजों के ऊपर हम कदम उठा रहे हैं। वे कदम उस वक्त उठा सकेंगे जब ग्राप सब लोगों का कोग्रापरेशन मिलेगा. स्टेटस का कोग्रापरेशन मिलेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि यह सदन इस विल को ग्रपनी मंज्री दे दे।

VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI) (SAROJINI MAHISHI]: Now, I shall put the motion for consideration to vote:

The question is:

"That the Bill further to amend the Employment of Children Act, 1938, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.'

The. motion was adopted.

VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: We shall now take up the clausebyrclause consideration .of the Bill.'

[Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi] Clause 2 was added to the Bill. Clause i, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI T. ANGAIAH: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: The House is now adjourned till II A.M. tomorrow.

The House then adjourned at six minutes past five of the clock, till eleven of the clock, on Friday, the 22nd November. 1985.